

## अध्याय X: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

### गैस गैस लिमिटेड

#### 10.1 गैस गैस लिमिटेड द्वारा सिटी गैस वितरण परियोजनाओं का कार्यान्वयन

##### 10.1.1 प्रस्तावना

गैस गैस लिमिटेड (कम्पनी), मई 2008 में गैस (इंडिया) लिमिटेड द्वारा सम्पूर्ण भारत में सिटी गैस वितरण (सीजीडी) परियोजनाओं के कार्यान्वयन सहित प्राकृतिक गैस एनजी के डाउनस्ट्रीम वितरण और विपणन के उद्देश्य के साथ इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक के तौर पर निगमित/शामिल की गई थी। सीजीडी नेटवर्क मुख्यतः ऑटो-ईंधन में प्रयुक्त संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) और पाइप प्राकृतिक गैस (पीएनजी) घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रयुक्त की आपूर्ति करती है।

भारत में, उपलब्ध एनजी को मुख्यतः दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है यथा (i) घरेलू एनजी और (ii) आयातित रि-गैसिफाइड लिक्विफाइड प्राकृतिक गैस (आर-एलएनजी)। देश में एनजी की कमी को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर भारत सरकार (जीओआई) द्वारा जारी नीति दिशानिर्देशों पर आधारित विभिन्न क्षेत्रों में आवंटित की जाती है। आयातित गैस के मामले में गैस/तेल विपणन सत्व एलएनजी के आयात और उपभोक्ताओं को आर-एलएनजी की बिक्री के लिए मुक्त हैं। देश में सीजीडी क्षेत्र में विकास और सीएनजी वाहनों और घरों में पीएनजी के प्रोत्साहन के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने सीएनजी और पीएनजी की 100 प्रतिशत आवश्यकता के घरेलू एनजी के भाग को बढ़ाने का निर्णय (फरवरी 2014) लिया।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजी-आरबी) का गठन पेट्रोलियम की रिफाइनिंग, प्रसंस्करण, भण्डारण, परिवहन, वितरण, विपणन और बिक्री को नियंत्रित करने हेतु लिया गया ताकि देश के सभी भागों में पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और एनजी की गैर बाधित और पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। अधिदेश के अनुसार, पीएनजीआरबी किसी की विनिर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र<sup>1</sup> (जीए) के लिए एक सीजीडी नेटवर्क स्थापित करना, निर्माण करना प्रचालन या विस्तारण में रुचि रखने वाले सत्वों से बोली आमंत्रित करता है। अधिनियम पीएनजीआरबी को एमओपीएनजी द्वारा सत्वों को जीएज के

<sup>1</sup> प्राधिकृत भौगोलिक क्षेत्र पीएनजीआरबी विनियमों के तहत एक शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र है।

प्राधिकरण को स्वीकार करने के लिए सक्षम बनाता है जो कि पीएनजीआरबी के समावेश से पहले ही सीजीडी व्यापक को चला रहे थे।

मार्च 2016 तक, पीएनजीआरबी ने 31 सत्त्वों को 74 जीएज के लिए प्राधिकरण सौंपे थे। इन में से पांच जीएज यथा बेंगलुरु (कर्नाटक), देवास (मध्य प्रदेश), कोटा (राजस्थान), मेरठ (उत्तर प्रदेश) और सोनीपत (हरियाणा) कम्पनी को दिए गए हैं। आगे, दो जीएज यथा हरिद्वार (उत्तराखण्ड) और उत्तरी गोआ (गोआ) बराबर पाण के साथ गेल गैस लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के सहायक संघ को दी गई थी। इसके अतिरिक्त फिरोजाबाद टीटीजेड, जीए (ताज ट्रेपेजियम जोन<sup>1</sup>) पीएनजीआरबी (सितम्बर 2014) द्वारा स्वीकृत की गई थी, जो कि एमओपीएनजी द्वारा प्राधिकृत थी।

### 10.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा का संचालन इस आंकलन के लिए किया गया था कि क्या:

- सीजीडी परियोजनाएं प्रभावी तरीके से नियोजित की गई हैं;
- सीजीडी परियोजनाओं का कार्यान्वयन समय पर और प्रभावी ढंग से किया गया था; और
- प्रभारों की बिलिंग और वसूली सक्षम और प्रभावी ढंग से की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पांच प्राधिकृत जीएज यथा देवास, कोटा, मेरठ, सोनीपत, और फिरोजाबाद (टीटीजेड) के संबंध में इसे कॉरपोरेट कार्यालय, नोएडा पर उपलब्ध कम्पनी के अभिलेखों की जांच की। लेखापरीक्षा ने इन जीएज में सीजीडी परियोजनाओं के कार्यान्वयन और कम्पनी के प्रचालन संबंधी निष्पादन को अप्रैल 2013 से मार्च 2016 तक की अवधि के लिए शामिल किया था।

बेंगलुरु, हरिद्वार और उत्तरी गोआ जीएज फरवरी और जुलाई 2015 और जून 2016 में क्रमशः कम्पनी को सौंपे गए थे। चूंकि इन परियोजनाओं का कार्य प्रारंभिक चरण पर था और कम्पनी के पास न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एम.डब्ल्यू.पी) लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु पांच वर्षोंकी अनन्यता<sup>2</sup> अवधि थी, यह जीएज इस लेखापरीक्षा में शामिल नहीं किए गए हैं।

<sup>1</sup> ताज महल को प्रदूषण से बचाने के लिए जीओआई ने ताज ट्रेपेजियम जोन, 10,400 वर्ग किलोमीटर (सैंटेलाइट शहर जैसे कि मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस, भरतपुर, आदि) के क्षेत्र को एक नियंत्रित विकास जोन के तौर पर घोषित किया।

<sup>2</sup> सामान्य कैरियर या ठेका कैरियर की परिधि से पीएनजीआरबी द्वारा अनुमत छूट की अवधि

### 10.1.3 लेखापरीक्षा मापदंड एवं कार्यप्रणाली:

लेखापरीक्षा मापदंड में निहित प्रावधान:

- सीजीडी क्षेत्र को एनजी के आंवटन पर एमओपीएनजी की नीति
- पीएनजीआरबी द्वारा जारी सीजीडी नेटवर्क के विकास के संचालन के लिए विनियम एवं दिशानिर्देश;
- सीएनजी खुदश केन्द्र, मुख्य निर्धारण, टीटीजेड क्षेत्र में समान मुख्य निर्धारण तंत्र के स्थान पर कम्पनी की नीति;
- गेल के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू)
- पीएनजीआरबी को प्रस्तुत की गई प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट एवं सीजीडी परियोजन निष्पादन रिपोर्ट; और
- निदेशकमंडल एवं निदेशक समिति की बैठक के कार्यवृत्त

### 10.1.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

#### 10.1.4.1 सीजीडी परियोजनाओं का नियोजन एवं निष्पादन

##### (I) सीजीडी नेटवर्क के विकास की प्राप्ति की तुलना में लक्ष्य

पीएनजीआरबी ने इन्फ्रास्ट्रक्चर और इसके संचालन के लिए जीएज यथा 2009 में देवास, कोटा मेरठ और सोनीपत और 2011 में फिरोजाबाद (टीटीजेड), कम्पनी को प्राधिकृत किए।

प्राधिकरण आदेशों के अनुसार, कम्पनी को चार जीएज में संबंधित प्राधिकरण आदेशों की तिथि से पांच वर्षों की अवधि के भीतर और फिरोजाबाद (टीटीजेड) जीए में तीन वर्ष की अनन्यता अवधि में एमडब्ल्यूपी को पूरा करना था, जैसा कि इसके द्वारा बोली दस्तावेजों में बचनबद्धता की गई थी। परियोजनाओं के प्रचालन चरण के परियोजना को समय पर प्रारंभ करने के लिए और सेवा बाध्यताओं को पूरा करने के लिए कम्पनी ने चार जीएज में ₹45.88 करोड़ की और फिरोजाबाद (टीटीजेड) जीए में ₹ 3 करोड़ की निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत की थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी ने चार जीएज में स्टील पाइपलाइन बिछाने के अलावा किसी भी जीएज में पीएनजीआरबी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं किया था। मार्च

2017 की प्रतिवेदन संख्या 9

2016 तक पीएनजीआरबी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों का विवरण निम्न है:-

भौगोलिक क्षेत्र	स्टील पाइपलाइन			सीएनजी स्टेशन की संख्या			घरेलू कनेक्शन के लिए बुनियादी ढांचा सृजन			
	लक्ष्य	वास्तविक	उपलब्धि (% में)	लक्ष्य	वास्तविक	उपलब्धि (% में)	कनेक्शन की संख्या			उपलब्धि (% में) (बनाये गए बनाम लक्षित)
							लक्ष्य	बनाये गए	जोड़े गए	
देवास	320	375	117	2	1	50	40000	15687	1032	39.22
कोटा	343	355	103	6	4	67	100000	15805	192	15.81
मेरठ	644	719	112	5	4	80	125000	23572	3659	18.86
सोनीपत	329	396	120	3	4	133	60000	32000	4234	53.33
टीटीजेड	522	98.4	19	7	2	29	24000	200	200	0.83
<b>कुल</b>	<b>2158</b>	<b>1939.4</b>	<b>89.87</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>65.22</b>	<b>349000</b>	<b>87264</b>	<b>9317</b>	<b>25.00</b>

फिरोजाबाद (टीटीजेड) के अलावा जहां केवल 19 प्रतिशत प्रगति प्राप्त की गई थी, कम्पनी सभी जीएज में स्टील पाइपलाइन बिछाने के लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी थी। तथापि प्राधिकरण की तिथि से 5-7 वर्ष बीत जाने के बाद भी कम्पनी देवास, कोटा, मेरठ और फिरोजाबाद (टीटीजेड) जीएज में सीएनजी स्टेशनों की लक्षित संख्या को संस्थापित करने में असफल रही और सभी जीएज में घरेलू पीएनजी कनेक्शनों की लक्षित संख्या प्रारंभ की।

सीएनजी स्टेशनों के संस्थापन के लिए लक्ष्यों की गैर-प्राप्ति और घरेलू संबंधों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पीएनजीआरबी ने चार जीएज के संबंध में ₹ 3.54 करोड़ की सीमा तक बैंक गारंटी को भुनाया (2013)।

तथ्यों को स्वीकार करने के दौरान, प्रबंधन ने कहा कि (अक्टुबर 2016) पीएनजीआरबी द्वारा बैंक गारंटी के भुनाये जाने को कम्पनी द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और माननीय उच्च न्यायालय ने यथा स्थिति का आदेश दिया।

प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं था चूंकि यथा स्थिति आदेश केवल टीटीजेड जीए के लिए थे। पीएनजीआरबी ने पहले से ही अन्य चार जीएज के संबंध में पीबीजीज, को जब्त किया था।

## (II) भौगोलिक क्षेत्रों में सीजीडी इन्फ्रास्ट्रक्चर का गैर-विकास

सीजीडी नेटवर्क में सिटी गेट स्टेशन<sup>1</sup> (सीजीएस), स्टील पाइपलाइन और एमडीपीई<sup>2</sup> पाइपलाइन नेटवर्क, एनजी को सीएनजी में संपीडित करने के लिए ऑनलाइन संपीडक, सीएनजी वितरण स्टेशन, सहबद्ध उपकरण आदि सम्मिलित हैं।

कम्पनी सीएनजी स्टेशनों संस्थापित करने के लिए न्यूनतम कार्य कार्यक्रम को पूर्ण करने और घरेलू पीएनजी कनेक्शनों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को पूर्ण करने में असफल रही। मार्च 2016 तक सीजीडी नेटवर्क विकास की स्थिति निम्न प्रकार से थी:

विवरण	देवस	कोटा	मेरठ	सोनीपत	फिरोजाबाद	
प्राधिकरण की तिथि	जून 2009	जून 2009	जून 2009	जून 2009	सितम्बर 2011	
अनन्यता अवधि	जून 2014	जून 2014	जून 2014	जून 2014	सितम्बर 2014	
सीएनजी	लक्ष्य	2	6	5	3	5
ऑनलाइन स्टेशन	वास्तविक	1	4	4	4 <sup>3</sup>	2
लक्षित घरेलू कनेक्शन		40,000	1,00,000	1,25,000	60,000	24,000
घरेलू कनेक्शनों के लिए वास्तविक इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाना		15,687	15,805	23,572	32,000	लागू नहीं
घरेलू कनेक्शनों की संख्या	आबंटित	4,675	5,113	13,250	6,775	4,000
	जोड़े गए	1,032	192	3,659	4,234	200

लेखापरीक्षा ने देखा कि एमडब्ल्यूपी की गैर-प्राप्ति मुख्य रूप से खराब ठेका प्रबंधन, नियोजन एवं निष्पादन में कमियों और निगरानी में त्रुटियों के कारण थी।

- ठेके देने में विलम्ब था। परियोजनाओं को जून 2009/सितम्बर 2011 में प्राधिकृत किया गया था किंतु ठेके केवल जून 2010/नवम्बर 2012 में दिए गए थे।
- सभी जीएज में लक्ष्यों के प्रति घरेलू कनेक्शनों की कम संख्या दी गई थी।
- या तो संबंधित एजेंसियों (कोटा) से एमडीपीई पाइपलाइनों को बिछाने के लिए आवश्यक अनुमति नहीं दी गई थी या जहां अनुमति उपलब्ध थी (फिरोजाबाद) ठेकेदारों को पाइपलाइन बिछाने नहीं दी गई थी।

<sup>1</sup> बिंदु जहां प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से सीजीडी नेटवर्क में प्राकृतिक गैस के अकिरक्षा अंतरण होता है।

<sup>2</sup> मध्यम धनत्व पॉलीइथाइलीन

<sup>3</sup> बाजार की मांग पर आधारित अतिरिक्त स्टेशन संस्थापित किए गये।

- (iv) सभी जीएज में संविदात्मक बाह्यताओं के उल्लंघन और धीमे कार्य निष्पादन के लिए ठेकेदारों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई।
- (v) कार्य के निष्पादन के दौरान कम्पनी द्वारा कोई जांच नहीं की गई और सभी जीए में परियोजना प्रबंधन सलाहकार के प्रमाणीकरण पर भुगतान किए गए थे।
- (vi) कार्य आदेशों को ठेकेदारों को (देवास और मेरठ में) गैर-प्राधिकृत रूप से उप-ठेका दिया गया था। इन ठेकों को बाद में समाप्त किया गया और निष्पादन के लिए शेष कार्य को पुनः सौंपा नहीं गया।
- (vii) हालांकि जनवरी 2012 में मेरठ सीजीडी में एक अग्नि दुर्घटना के बाद, गेल के सतर्कता विभाग ने आकस्मिक जांच की एवं परियोजना के निष्पादन में अनियमितताएं देखीं जैसे कि पाइपलाइन के चारों ओर सैंड पैडिंग, पाइपलाइन की अपर्याप्त गहराई, केसिंग एवं वार्निंग मैट की का गैर-संस्थापन आदि, कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2016) कि संबंधित एजेंसियों से आवश्यक अनुमति/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए ठेकेदार उत्तरदायी थे और वहां पर सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा अनुमति देने और भूमि आवंटन एजेंसियों से भूमि प्राप्त करने या कार्य को रोके जाने में नामंजूरी/विलंब के दृष्टांत थे जो कि कम्पनी के नियंत्रण से बाहर थे।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि वहां पर ठेके देने में विलम्ब था और वहां पर ठेकेदारों द्वारा कार्य के निष्पादन के दौरान अपर्याप्त पर्यवेक्षण/जांच थी।

### **(III) प्राधिकृत जीए के बाहर सीएनजी स्टेशनों के संस्थापन के साथ प्रचालन संबंधी हानि**

कम्पनी ने अपने प्राधिकृत जीए से बाहर पनवेल (अक्टूबर 2010), विजयपुर (जनवरी 2011) और दिबियापुर (दिसम्बर 2013) में तीन सीएनजी स्टेशन प्रारंभ किए थे। वैसे तो, घरेलु, पीएनजी और सीएनजी को प्राथमिक क्षेत्र घोषित करने में कम्पनी के प्रयासों के बावजूद जीओआई ने इन स्टेशनों के लिए घरेलु गैस का आवंटन नहीं किया था। परिणामस्वरूप कम्पनी इन स्टेशनों को महंगे आर-एलएनजी पर चला रही थी। वैकल्पिक ईंधन मूल्य के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण, कम्पनी ने मूल्य निर्धारित नीति के उल्लंघन में सीएनजी को आर-एलएनजी से कम मूल्य पर बेच दिया जिसके परिणामस्वरूप 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान ₹ 8 करोड़ की प्रचालन हानि हुई। कम्पनी ने (अप्रैल 2015) पनवेल सीएनजी स्टेशन को महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) को हस्तांतरित कर दिया था चूंकि इससे मुम्बई जीए में सीजीडी परियोजना के लिए घरेलु एनजी का आवंटन किया था।

प्रबंधन ने कहा (अक्तुबर 2016) कि इन स्टेशनों के लिए किए गए निवेश को अकर्मव्य नहीं रख सकते। तदनुसार, सीएनजी मूल्य निर्धारण की दीर्घावधिक आर-एलएनजी मूल्य पर किया गया था।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि कम्पनी की मूल्य निर्धारण नीति स्पष्ट रूप से कहती है कि किसी भी अवस्था में बिक्री मूल्य लागत मूल्य के नीचे नहीं होना चाहिए।

#### **(IV) बिना आवश्यक अनुमतियों के सीएनजी स्टेशनों का संस्थापन**

कम्पनी ने इस स्टेशन को गैस की आपूर्ति की देखभाल के लिए एनएच-2 पर स्पष्ट पाइपलाइन बिछाने के साथ एनएच-2 यथा दिल्ली-मथुरा-आगरा कॉरीडोर के सामने बीपीसीएल जुबली रिटेल आउटलेट (आरओ) मथुरा पर सीएनजी स्टेशन स्थापित करने का निर्णय (2008) लिया और दिसम्बर 2008 तक कार्य के समापन की परिकल्पना की थी। कम्पनी ने एनएच-2 पर पाइपलाइन बिछाने के लिए भारत के राष्ट्रीय हाईवे प्राधिकरण (एनएचएआई) से अनुमति की मांग (अगस्त 2008) की थी। तथापि, एनएचएआई ने इस तर्क पर अनुमति देने से मना किया (जून 2009) कि जहाजरानी सड़क परिवहन एवं हाइवे मंत्रालय से अनुमति के बिना पिछले कुछ वर्षों से बीपीसीएल मथुरा में आरओ चला रहा था और आरओ को डी एनरजाइज करने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था। वैसे तो कम्पनी स्टील पाइपलाइन बिछा नहीं सकी।

एनएचएआई से अनुमति की विलम्बित प्राप्ति पर कम्पनी ने सीएनजी स्टेशन के संस्थापन के लिए आवश्यक मुख्य उपकरण यथा कम्प्रेसर डिस्पेंसर कैस्केड आदि ₹ 1.94 करोड़ के मूल्य पर खरीदे (नवम्बर 2008) थे। उपरोक्त सीएनजी स्टेशन पर उपकरण के उत्थापन एवं संस्थापन 2009 में पूरा हुआ था। किंतु स्टील पाइपलाइन न बिछाने के कारण कम्पनी इस सीएनजी स्टेशन से व्यापार कमीशन एवं प्रारंभ करने के योग्य नहीं थी।

कथित सीएनजी स्टेशन के लिए 4 स्पट समर्पित पाइपलाइन को बिछाने एवं निर्माण का कार्य एवं मथुरा रिफायनरी के सामने संबंधित टर्मिनल कार्य की 30 दिनों की समापन अवधि के साथ सौंपा गया था (दिसम्बर 2008)। तदनुसार, ठेकेदार टर्मिनल पाइपिंग और एनएच-2 पर पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि को नीचे करने जैसे कार्य प्रारंभ किए थे। तथापि कार्य पूर्ण नहीं हो सका चूंकि एनएचएआई से औपचारिक अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी।

कंपनी द्वारा सीएनजी उपकरणों की स्थापना हेतु ₹ 4.05 करोड़ का सितम्बर 2016 व्यय किया गया जिनसे कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। व्यापार हानी के अलावा, सीएनजी संपीडक

और अन्य मशीनों के व्यर्थ पड़े होने के कारण मशीनों के खराब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

प्रबंधन के कहा (अक्टूबर 2016) कि दिल्ली-मथुरा-आगरा राजमार्ग पर स्थित सीएनजी स्टेशन दिसम्बर 2008 तक चालू करना था, इसलिए इसने संपीडक और अन्य उपकरण खरीद लिए थे। इसके बाद मथुरा रीफाइनरी से स्टील पाइपलाइन बिछाने का कार्य पहले ही प्रारम्भ कर दिया था और सीएनजी स्टेशन को जल्द से जल्द चालू करने का कार्यादेश दिसम्बर 2008 में जारी किया गया था।

प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है चूंकि भारतीय राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त किए बिना, प्रमुख उपकरणों को एकत्र करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी थी। मथुरा रीफाइनरी से सीएनजी स्टेशन तक स्टील पाइपलाइन नहीं बिछाने के कारण सीएनजी स्टेशन चालू नहीं किया गया था। कंपनी भारतीय राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण से सैद्धांतिक रूप से नुमोदन और मथुरा रीफाइनरी के अंदर पाइप लाइन बिछाने की अनुमति केवल फरवरी 2016 और अप्रैल 2016 में क्रमानुसार ले सकती थी।

#### 10.1.4.2 सीएनजी और पीएनजी की विपणन

##### (1) पीएनजी और सीएनजी का मूल्यांकन

पीएनजीआरबी विनियमों<sup>1</sup> के अनुसार, सीजीडी नेटवर्क में प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए और सीएनजी के लिए संपीडन प्रभार (सीसी) पर नेटवर्क टैरिफ<sup>2</sup>, परियोजना के आर्थिक कार्यकाल में सीजीडी नेटवर्क को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तारण के लिए प्रस्तुत बोली के अनुसार सुनिश्चित किए जाएंगे और पीएनजी एवं सीएनजी के सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं से वसूले जायेंगे। यह पाया गया कि गैस मूल्य, एन टी और सी सी के अलावा कंपनी ने अपने ग्राहकों से कई और कीमतें वसूली जो कि नीचे दर्शायी गयी हैं:

<sup>1</sup> जीएसआर अधिसूचना 196 (E) दिनांक 19 मार्च 2008

<sup>2</sup> नेटवर्क टैरिफ का अर्थ सीजीडी नेटवर्क में प्राकृतिक गैस के सभी वर्गों के ग्राहकों हेतु ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स (रु/एम एम बी टी यू) के अनुसार रु में टैरिफ की भारत औसत इकाई दर है (संवैधानिक कर और वसूली के अलावा)



अ. वितरण करों, डीलरों का कमीशन, गैर गैस मूल्य आदि की वसूली कंपनी द्वारा 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान वसूल किए गए वितरण करों, डीलरों का कमीशन, गैर गैस मूल्य<sup>1</sup> आदि करों का खंड अनुसार विवरण था:

(₹ करोड़ में)

विशेषताएँ	खंड				कुल
	सीएनजी	औद्योगिक पीएनजी	वाणिज्यिक पीएनजी	घरेलू पीएनजी	
बिक्री एवं वितरण व्यय	1.69	11.66	0.09	0.10	13.54
डीलरों का कमीशन	10.63	0	0	0	10.63
गैर गैस मूल्य	25.82	0	0	0.60	26.42
20 प्रतिशत पर प्रीमियम	0	0	0.56	0	0.56
<b>कुल</b>	<b>38.14</b>	<b>11.66</b>	<b>0.65</b>	<b>0.70</b>	<b>51.15</b>

प्रबंधन के कहा (अक्टूबर 2016) कि अनुमोदित मूल्य नीति, बाज़ार गति विज्ञान और कंपनी की व्यापार योजना को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन किया गया एवं सत्व मूल्य निर्धारित करने हेतु स्वतंत्र थे।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नियम केवल एनटी और सीसी की वसूली के लिए थे।

ब. टीटीजेड क्षेत्र में बाज़ार मार्जिन और कानूनी व्यय की वसूली

(i) कंपनी ने आर-एलएनजी की आपूर्ति हेतु गेल के साथ (मई 2009) गैस सेल्स करार हस्ताक्षरित किया। समझौते के अनुसार, गेल कम्पनी से अन्य प्रभारों और शुल्कों और करों के साथ-साथ रि-गैसिफिकेशन, ट्रंक लाइन ट्रांसमिशन अन्य ट्रांसमिशन के लिए प्रभारों के साथ ठेका मूल्य प्रभारित करेगा।

गेल ने कंपनी से 'अन्य करों' के रूप में बाज़ार मार्जिन कभी नहीं वसूला लेकिन जनवरी 2016 से प्रभावी, कंपनी ने गेल की ओर से टीटीजेड ग्राहकों से 11.82 एमएमबीटीयू<sup>2</sup> की

<sup>1</sup> गैर गैस लागत में विभिन्न प्रभार जैसे विद्युत एवं ईंधन अधिभार, उपभोग योग्य भंडार एवं पुर्जा, मरम्मत एवमरख रखाव, प्रशासनिक, उत्पाद विक्री एवमवितरण ओवर हेड, ब्याज और वित्तीय प्रभार सम्मिलित हैं।

<sup>2</sup> मिलियन मेट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट

दर से बाज़ार मार्जिन वसूल करना प्रारम्भ कर दिया था। कंपनी द्वारा, जनवरी 2016 से मार्च 2016 तक की अवधि हेतु 0.65 करोड़ की राशि अनाधिकृत रूप से वसूल की थी।

(ii) पीएनजीआरबी विनियमों के उल्लंघन में, कम्पनी ने 'अन्य प्रभारों' शीर्ष के तहत टीटीजेड क्षेत्र में औद्योगिक पीएनजी के मूल्य में कानूनी व्यय के रूप में ₹ 0.10 प्रतिशत एससीएम की एक राशि नीहित की थी (मार्च 2014 के बाद से) और गैर-प्राधिकृत रूप से मार्च 2014 से मार्च 2016 के दौरान ₹ 9.32 करोड़ की राशि वसूली थी।

प्रबंधन का उत्तर (अक्टूबर 2016) था की गेल बाज़ार मार्जिन की वसूली हेतु अनुमोदन लेने की प्रक्रिया में थी और मांग बढ़ा सकती है। इसके बाद, समझौते की वाणिज्यिक नियमों और शर्तों जो की दो पार्टियों के मध्य हुई थी एमओपीएनजी/पीएनजीआरबी की सीमा से बाहर थे।

प्रबंधन ने स्वीकार किया कि गेल एलटी-आरएलएनजी पर बाज़ार मार्जिन की वसूली हेतु अनुमोदन लेने की प्रक्रिया में थी, इस प्रकार, बाज़ार मार्जिन की वसूली न्यायोचित नहीं थी।

## **(II) बिलिंग और अन्य विपणन गतिविधियां**

**(अ) सुरक्षा प्रतिभूति पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का गैर अनुपालन**

### **(i) घरेलू पीएनजी ग्राहकों से ब्याज रहित प्रतिभूति जमा की गैर वसूली**

पीएनजीआरबी के नियम के नियम 14(1), 2008 के अनुसार सत्व एक एकल कनेक्शन के लिए अधिकतम ₹ 5000 राशि का उपभोक्ता के परिसर में संस्थापन की श्रम लागत सहित उपकरण एवं सुविधाओं की सुरक्षा की और घरेलू पीएनजी उपभोक्ताओं से वापसी योग्य ब्याज रहित प्रतिभूति जमा (एसडी) ले सकते हैं। तदनुसार कम्पनी के निदेशक मंडल ने 'घरेलू पंजीकरण के लिए टर्म शीट' और 'हाउसिंग सोसाइटी घरेलू पीएनजी समझौते' (मई 2010) को अनुमोदित किया और प्रति घरेलू कनेक्शन पर ₹ 5000 की ब्याज रहित वापसी योग्य प्रतिभूति जमा को अनुमोदित किया।

पीएनजीआरबी के नियमों का अनुपालन करने में कंपनी असफल रही और या तो वसूल नहीं किया या फिर इसके घरेलू पीएनजी ग्राहकों के 8 प्रतिशत से ₹33 लाख की सुरक्षा जमा की अल्प वसूली निम्नानुसार है।

ब्याज रहित सुरक्षा जमा की राशि गैर वसूली/ अल्प वसूली	ग्राहकों की संख्या (अगस्त 2016 तक)						कुल गैर/अल्प प्रभार सुरक्षा जमा राशि (₹ मे)
	देवास	कोटा	मेरठ	सोनीपत	फ़िरोज़ाबाद	कुल	
₹ 0	28	0	200	219	0	447	2235000
500 ₹ से कम	1	0	1	0	0	2	9000
500 से 1000 ₹	102	1	3	154	0	260	1040000
1001 से 2000 ₹	3	0	0	0	0	3	9000
2001 से 3000 ₹	2	0	0	0	0	2	4000
3001 से 4000 ₹	0	0	0	0	0	0	0
4001 से 4999 ₹	3	0	0	9	0	12	0
5000 ₹	948	186	3,553	4,024	121	8,832	0
<b>कुल</b>	<b>1,087</b>	<b>187</b>	<b>3,757</b>	<b>4,406</b>	<b>121</b>	<b>9,558</b>	<b>32,97,000</b>
<b>₹ लाखों मे</b>							<b>33</b>

प्रबंधन का उत्तर था (अक्टूबर 2016) की वे आकड़ों की मिलान कर रहे थे और यदि अल्प प्रभार की स्थिति में वसूली की आवश्यकता होगी तो वह वसूल किया जाना था।

(ii) प्रतिभूति जमा और आवेदन शुल्क की अनधिकृत वसूली

पीएनजीआरबी ने सत्वों को इसके घरेलू पीएनजी ग्राहकों से प्रति कनेक्शन ₹5000 तक की राशि वापिस करने योग्य ब्याज रहित प्रतिभूति जमा के रूप में वसूल करने हेतु प्राधिकृत किया था। यद्यपि कंपनी ने सभी गैस एजेन्सीस में इसके घरेलू पीएनजी ग्राहकों से ₹ 300 की राशि आवेदन शुल्क (वापिस न करने योग्य) और ₹500 की राशि बिल भुगतान प्रतिभूति जमा (वापिस करने योग्य) के रूप में अतिरिक्त राशि वसूल की। कंपनी ने इस प्रकार, पी.एल.सी.आर.बी नियमों के उल्लंघन में ₹1.20 करोड़<sup>1</sup> की राशि गैर-प्राधिकृत रूप से वसूल की थी।

प्रबंधन का उत्तर था (अक्टूबर 2016) की पीएनजी ग्राहकों की गंभीरता की जांच के उद्देश्य से, यह वापिस न कर सकने योग्य आवेदन शुल्क एकत्र कर रही थी। इसके साथ ही, पेट्रोलियम पीएनजीआरबी गैस उपभोग हेतु सुरक्षा भुगतान के संग्रहण को रोकता नहीं है और इसलिए

<sup>1</sup> 7176900(₹300 \* 23923 ग्राहकों की संख्या) आवेदन शुल्क के रूप में और ₹47.79 लाख (₹500 \* 9558 ग्राहकों की संख्या) सभी ग्राहकों से जिनको गैस कनेक्शन प्रदान किया गया था से अतिरिक्त सुरक्षा जमा के रूप में

इस आधार पर ₹500 के संग्रहण हेतु एमओपीएनजी/पीएनजीआरबी की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पीएनजीआरबी के नियमों में सुरक्षा प्रभार अथवा आवेदन शुल्क के संग्रहण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

### (ख) त्रुटिपूर्ण बिलिंग तंत्र

कंपनी ग्राहकों की तरफ से गैर भुगतान और समय पर बिल प्रस्तुत करने में असफल होने से धन अवरुद्ध होने के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रही थी। यह अवलोकन किया गया की :

- (i) वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर ग्राहकों से द्वि मासिक बिल एकत्र किए जाने थे। यद्यपि, मीटर रीडिंग, बिल उत्पत्ति, बिल संग्रहण, हेतु उद्विकासी तंत्र के गैर कार्यान्वयन के कारण 6 माह से लेकर 4 वर्ष तक चालान की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण विलंब था।
- (ii) कंपनी को प्रति वर्ष प्रति ग्राहक से 6 चालान प्रस्तुत करने थे। यद्यपि 2013-14 के अंतर्गत प्रतिवर्ष औसत चालान 2.9 और 2014-15 में यह 1.3 थी और 2015-16 में यह केवल 2.8 थी।
- (iii) कनेक्शन वाले ग्राहकों और बिल जारी किए गए ग्राहकों की संख्या में विभिन्नताएँ थीं। मार्च 2016 तक, 9317 पीएनजी ग्राहकों में से केवल 8482 ग्राहकों को बिल जारी किए गए थे।
- (iv) ग्राहक द्वारा दो लगातार बिलों के भुगतान में विफलता के मामले में, बिना किसी नोटिस के गैस आपूर्ति बंद कर दी जानी थी और बकाया बिलों के ब्याज सहित भुगतान के बाद ही आपूर्ति पुनः शुरू की जानी थी। यद्यपि, लगभग 1000 मामलों में एक वर्ष से भी अधिक समय से शेष बकाया वाले पीएनजी ग्राहकों को भी गैस आपूर्ति करनी जारी रखा।
- (v) कंपनी ग्राहकों से चेक के द्वारा बिल भुगतान स्वीकार करती रही जबकि अन्य वैकल्पिक माध्यमों जैसे आरटीजीएस/ईसीएस, मोबाइल अप्प भुगतान, नकद भुगतान/संग्रहण केंद्र/कीओस्क से भुगतान हेतु इसका अनुमोदित नियम पत्र है।

प्रबंधन के कहां (अक्टूबर 2016) की घरेलू ग्राहकों आंकशों के सत्यापन और बकाया की वसूली के हेतु निविदा प्रचलित करने की प्रक्रिया में थी। यह भी कहा गया की बकाया शेष के मामलों में, बकाया राशि की अनिश्चितता के कारण कंपनी ग्राहकों को पृथक नहीं कर

सकती है। इसके साथ ही, नेट बैंकिंग अथवा क्रेडिट कार्ड से भुगतान संग्रहण प्रारम्भ करने हेतु ऑनलाइन भुगतान द्वारा कार्यान्वयन अग्रिम स्टेज पर था।

### 10.14.3 ब्याज के अन्य विषय

#### (I) बही खातों के पृथक रखरखाव के अभाव में पीएनजीआरबी नियमों का उल्लंघन

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड नियमों, 2008 के नियम 14(5) और (6) के अनुसार, प्राधिकृत कंपनियों को पृथक बही खातों का रखरखाव करना होगा जिसमें प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और साधारण लागत को पृथक करने सहित आवंटन पर आधारित विस्तृत प्रक्रिया और प्राकृतिक गैस और सीएनजी की खरीद के संबंध में अर्जित राजस्व, परिवहन, संपीड़न, विपणन आदि सम्मिलित होगा।

यह अवलोकन किया गया कि ईआरपी प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक गैस एजेन्सीस हेतु शहर अनुसार (व्यापार क्षेत्र अनुसार) खातों और कंपनी एक्ट, 2013 के अंतर्गत लागत लेखांकन रिकार्ड नियम के अनुसार सीएनजी लागत आंकड़ों का रखरखाव किया हुआ था। यद्यपि, घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक और सीएनजी खंडों हेतु कोई पृथक्करण नहीं किया गया और समस्त लागत और राजस्व मिला कर एक ही शीर्ष के अंतर्गत एकत्र कर दिया गया। इसप्रकार, खण्डवार व्यय, राजस्व और लाभ/हानी निर्धारित/का पता नहीं लगाया जा सकता था।

प्रबंधन ने लेखा परीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2016) की वह लेखांकन उद्देश्य हेतु एसएपी के रूप में ईआरपी प्रणाली का उपयोग करती आ रही थी। यद्यपि, एसएपी के वर्तमान लेखांकन प्रणाली में जैसा कि वांछित था विभिन्न प्रक्रियाओं के लेखा हेतु पृथक खातों का रखरखाव करना संभव नहीं है।

#### (II) एचडीपीई<sup>1</sup> डक्ट के निष्क्रिय उद्देश्य होने से व्यर्थ व्यय

कंपनी द्वारा एक प्राथमिक उद्देश्य के रूप में भविष्य में संभावित व्यापार हेतु सीजीडी नेटवर्क के साथ ओएफसी<sup>2</sup> डक्ट की निष्क्रियता का पता लगाया। तदनुसार, कंपनी, ने देवास, कोटा, मेरठ और सोनीपत गैस एजेन्सीस में संविदाकारों को एचडीपीई पाइप लाइन नेटवर्क बिछाने के कार्य प्रदान करते हुए उनके काम की गुंजाईश में कुल 239.82 किलो

<sup>1</sup> उच्च दाब पॉलिथीन

<sup>2</sup> प्रकाशिक फ़ाइबर तार

मीटर की लंबाई हेतु 40 एचडीपीई की एचडीपीई डक्ट के बिछाने और प्रबंध का कार्य सम्मिलित कर दिया था।

यद्यपि संविदाकार, संबंधित गैस एजेन्सीस में कुल आवश्यक लंबाई 239.82 किलो मीटर में से केवल 177.74 किलो मीटर तक ही एचडीपीई डक्ट बिछा सके जिससे एमडीपीई पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूरा नहीं हुआ। इस प्रकार, कंपनी का समर्थ व्यापार आय का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, एचडीई डक्ट बिछाने हेतु ₹ 1.39 करोड़ का किया गया व्यय व्यर्थ रहा।

विशेषताएँ	देवास	कोटा	मेरठ	सोनीपत	कुल
बिछाई गयी एचडीपीई वाहिनी की कुल लंबाई (किलो मीटर में )	61.477	23.83	50.161	42.27	177.738
किया गया व्यय (₹ में)	5716266	4283842	3939584	0	13939692

प्रबंधन के कहा (अक्टूबर 2016) की चूंकि डक्ट की आपूर्ति संविदा के कार्यक्षेत्र में होने के कारण कंपनी को कोई वित्तीय हानी नहीं हुई और यह पूर्णतया प्रारम्भ नहीं की गयी थी जिस कारण बिलों के अंतिम व्यवस्थापन करते हुए कोई भुगतान नहीं किया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संविदा में कार्य पूर्ण रूप से चालू न होने के मामले में पूर्ण कार्य हेतु भुगतान के निपटारे अथवा गैर भुगतान हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

### निष्कर्ष

गेल गैस लिमिटेड द्वारा शहरी गैस वितरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा से ने खुलासा किया कि:

- (i) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड मील के पत्थर के अनुसार विभिन्न गैस एजेन्सीस में सीजीडी संरचना के कार्यान्वयन में कंपनी के विफलता के परिणामस्वरूप पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा पीबीजी का नकदीकरण और प्रचालन संबंधी हानि हुई।
- (ii) संवैधानिक प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने में असफलता से सीजीडी परियोजना में देरी;
- (iii) ग्राहकों से विभिन्न प्रभार की अनधिकृत वसूली।

(iv) बिलिंग/संग्रहण तंत्र में प्रणाली में कमियाँ

मंत्रालय को पैरा दिसम्बर 2016 में जारी किया गया था, उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।

### गेल (इंडिया) लिमिटेड

#### 10.2 विशेष मौद्रिक अभिमूल्यन का अनियमित भुगतान

गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अपने अधिकारियों को विशेष मौद्रिक अभिमूल्यन के रूप में ₹16.56 करोड़ का भुगतान किया गया।

लोक उद्यम विभाग द्वारा (नवम्बर 1997) सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को निर्देश जारी किये गए कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को विधिवत अनुमोदित प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अधिकृत राशि के बिना कोई बोनस, अनुग्रहपूर्वक, मानदेय, पुरस्कार, और विशेष प्रोत्साहन आदि नहीं दिया जायेगा। इसके बाद नवम्बर 2008 में, लोक उद्यम विभाग द्वारा कार्य-निष्पादन से सम्बंधित भुगतान (पीआरपी) हेतु दिशा निर्देश निर्धारित किये ।

गेल (इंडिया) लिमिटेड (कंपनी) द्वारा इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए 2015-16 के दौरान पाटा (उत्तर प्रदेश) में पेट्रोकेमिकल विस्तार परियोजना के समापन होने पर अधिकारियों को विशेष मौद्रिक अभिमूल्यन के रूप में ₹16.56 करोड़ का भुगतान किया गया था ।

यह कंपनी के सभी अधिकारियों, (संयुक्त उपक्रमों / सहायक कम्पनियों / उपक्रमों / अन्य संगठनों / सरकारी विभाग में सेकन्डमेंट / प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों सहित) को महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान को पहचान के लिए इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि क्या वे वास्तव में पेट्रो केमिकल विस्तार परियोजना के क्रियान्वयन में लगे हुए थे या नहीं, प्रदान किया गया। राशि का भुगतान कार्य-निष्पादन से सम्बंधित भुगतान (पीआरपी) योजना के तहत किए गए भुगतान के अतिरिक्त था।

निम्नलिखित आधार पर भी विशेष मौद्रिक अभिमूल्यन का भुगतान न्यायोचित सिद्ध करने के लिए बोर्ड को अनुशंसा की गई :

1. कंपनी वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान वृद्धिशील लाभ अर्जित नहीं कर सकी परिणामस्वरूप पीआरपी हेतु कमतर हकदारी थी।

2. कंपनी की समझौता ज्ञापन में उत्कृष्ट ग्रेडिंग के बजाय बहुत अच्छा ग्रेडिंग के कारण कम पीआरपी का भुगतान हुआ।

प्रबंधन के कहां (अक्टूबर 2016) कि पेट्रोकेमिकल विस्तार परियोजना समापन हेतु अधिकारियों द्वारा किए गए विशेष प्रयासों को मान्यता प्रदान करने के लिए एवं महत्वपूर्ण व्यापारिक लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उनका मनोबल ऊंचा बनाए रखने के लिए विशेष मौद्रिक अभिमूल्यन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, यह कार्य-निष्पादन से सम्बंधित भुगतान सम्बन्धित नहीं है। जो कि कंपनी की वित्तीय निष्पादन, समग्र एमओयू रेटिंग, व्यक्तिगत रेटिंग प्रदर्शन, वार्षिक मूल वेतन, मूल वेतन ग्रेड अनुसार लागू प्रतिशत सीमा, और समझौता ज्ञापन जैसे विभिन्न मापदंडों के आधार पर अनुमोदित कार्य-निष्पादन से सम्बंधित भुगतान (पीआरपी) योजना के अनुसरण में नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)के अनुमोदन और कारण विवेचना के बाद वितरित की जाती है। अधिकारियों को अभिमूल्यन का भुगतान उनके प्रयासों को मान्यता दिलाने के लिए एक मुश्त राशि में किया गया और जैसा कि ये एक नियमित भुगतान नहीं था इसलिए निदेशक मंडल के अनुमोदन और कारण विवेचना के बाद ही इसकी अनुमति दी गयी थी।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लोक उद्यम विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार, विशेष प्रोत्साहन का भुगतान विधिवत अनुमोदित योजना के अंतर्गत ही किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त, विशेष मौद्रिक अभिमूल्यन कार्य-निष्पादन से सम्बंधित भुगतान की प्रकृति की है और लोक उद्यम विभाग द्वारा नवम्बर 2008 में जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य-निष्पादन से सम्बंधित भुगतान के अतिरिक्त कोई भी भुगतान स्वीकार्य नहीं है।

इस प्रकार इसके अधिकारियों को विशेष मौद्रिक अभिमूल्यन के रूप में ₹16.56 करोड़ का भुगतान अनियमित था।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभियुक्त को स्वीकार किया (फरवरी 2017) तथा गेल (इण्डिया) लिमिटेड को सुधारात्मक कार्यवाही करने का निर्देश दिया।



भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

**10.3 एल.पी.जी की खुदरा बिक्री मूल्य गलत घोषित करने के कारण आर.जी.जी.एल.वी उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ**

कंपनी ने अपने आर.जी.जी.एल. वितरकों को एल.पी.जी का आर.एस.पी बताते समय वितरण शुल्क को बाहर नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा तथा वितरकों को ₹ 168.04 करोड़ का अनुचित लाभ मिला।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एम.ओ.पी.व एन.जी) द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में पैठ बढ़ाने के लिए एल.पी.जी वितरण एजेंसियों की स्थापना के उद्देश्य से राजीव गांधी ग्रामीण एल.पी.जी वितरक (आर.जी.जी.एल.वी) योजना (6 अगस्त 2009) को शुरु किया गया। योजना के अनुसार एल.पी.जी वितरकों (वितरक) को प्रति माह 600 रिफिल की क्षमता वाले ग्रामीण स्थानों पर संचालित करना था। वितरक ग्रामीण उपभोक्ताओं को नकद तथा वहन के आधार पर एल.पी.जी सिलेंडर (14.2 किलो) खुदरा बिक्री मूल्य (आर.एस.पी<sup>1</sup>) पर आपूर्ति करेंगे। एम.ओ.पी. व एन.जी समय-समय पर आर.एस.पीसं शोधित करती है जिसकी सूचना तेल विपणन कंपनियों द्वारा अपने वितरकों को भेजी जाती है ।

आर.जी.जी.एल.वी योजना के अनुसार वितरकों को एल.पी.जी सिलेंडर पूनः भरने (रिफिलिंग) के लिए वितरक कमीशन के लिए योग्य थे। वितरकों के कमीशन में दो घटक अर्थात् स्थापना लागत और वितरण शुल्क शामिल है, जो समय-समय पर एम.ओ.पी. व एन.जी द्वारा संशोधित किया जाता है। एम.ओ.पी. व एन.जी ने अक्टूबर 2012 (5 अक्टूबर 2012) में वितरकों के कमीशन को ₹ 37.25 प्रति सिलेंडर तक बढ़ा दिया जिसमें स्थापना लागत के रूप में ₹ 22.25 प्रति सिलेंडर तथा वितरण शुल्क के रूप में ₹ 15 प्रति सिलेंडर शामिल है। यह भी स्पष्ट किया गया कि उन उपभोक्ताओं से, जो सीधे वितरकों के परिसर से सिलेंडर संग्रह करेंगे, वितरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। चूंकि आर.जी.जी.एल.वी उपभोक्ता नकद और वहन के आधार पर सीधे वितरक परिसर से सिलेंडर संग्रह करते हैं, इसलिए उनके द्वारा वितरण शुल्क देय नहीं होगा।

लेखा परीक्षा ने देखा कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) ने अपने वितरकों को आर.एस.पी बताते

<sup>1</sup> खुदरा बिक्री मूल्य (आर.एस.पी) वह मूल्य है जिसपर तेल विपणन कंपनीयां उपभोक्ताओं को विनियमित उत्पाद बेचती है जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाती है तथा जिसमें सभी कर एवं वितरकों के कमीशन सम्मिलित हैं।

समय वितरकों के कमीशन से वितरण शुल्क रुपी घटक को बाहर नहीं किया था। जिसके परिणामस्वरूप, वितरकों ने ग्रामीण उपभोक्ताओं को एल.पी.जी सिलेंडर का वितरण नहीं करने के बावजूद वितरण शुल्क अपने कमीशन के रूप में संग्रह किया। कंपनी के वितरकों ने अक्टूबर 2012 से मार्च 2016 तक वितरण शुल्क के रूप में ₹ 168.04 करोड़<sup>1</sup> का अनुचित लाभ लिया।

एच पी सी एल (अगस्त 2016) और बी पी सी एल (जनवरी 2017) ने बताया (अगस्त 2016) कि इस योजना दिनांक 6 अगस्त 2009 के अनुसार, आर.जी.जी.एल.वी उपभोक्ताओं को एल.पी.जी सिलेंडर नकद तथा वहन के आधार पर बिना किसी छूट के आपूर्ति की जाएगी। तदनुसार, आर.जी.जी.एल.वी वितरकों पर पूर्ण कमीशन दिया जा रहा है।

एच पी सी एल और बी पी सी एल द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एम.ओ.पी. व एन.जीने स्पष्ट किया है (5 अक्टूबर 2012) कि उपभोक्ता जो वितरक परिसर से सीधे सिलेंडर संग्रह करते हैं, उनसे वितरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। वितरकों द्वारा उपभोक्ता परिसर तक सिलेंडर का वितरण करने की सेवा के बदले में, एल.पी.जी उपभोक्ता वितरण शुल्कों का भुगतान करते हैं। चूंकि, आर.जी.जी.एल.वी उपभोक्ता उपरोक्त सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तथा एल.पी.जी. सिलेंडर आर.जी.जी.एल.वी वितरकों के परिसर से प्राप्त कर रहे हैं, अतः उन उपभोक्ताओं द्वारा वितरण शुल्क के भुगतान का सवाल ही नहीं उठता।

इस प्रकार, आर.जी.जी.एल.वी योजना के वितरकों के संपूर्ण वितरक कमीशन के अंतर्गत वितरण शुल्क को शामिल करने की अनुमति देकर, उन ग्रामीण उपभोक्ताओं जो वितरण सेवा का लाभ नहीं उठा रहे हैं, एच पी सी एल और बी पी सी एल ने अपने वितरकों को अनुचित लाभ दिया तथा आर.जी.जी.एल.वी उपभोक्ताओं पर ₹ 168.04 करोड़ का अतिरिक्त भार लगाया। वितरकों को अनुचित लाभ और ग्रामीण एलपीजी ग्राहकों पर भार अभी भी जारी है।

अगस्त 2016 में एचपीसीएल और फरवरी 2017 में बीपीसीएल का पैरा मंत्रालय को भेजा गया था। उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

---

<sup>1</sup> ₹ 88.81 करोड़ एच पी सी एल के संदर्भ में और ₹ 79.23 करोड़ बी पी सी एल के संदर्भ में।

### इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

#### 10.4 पर्यावरण निर्बाधन की कमी के कारण नव निर्मित द्रवीकृत गैस बॉटलिंग संयंत्र परिचालित करने में असमर्थता

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड नवंबर 2014 में इसके पूरा होने के बाद से एक तरलीकृत पेट्रोलियम गैस बॉटलिंग संयंत्र संचालित नहीं कर सका, क्योंकि यह परियोजना के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में विफल रहा। नतीजतन, ₹75.58 करोड़ का निवेश बेकार पड़ा रहा और प्रतिवर्ष परिकल्पित बचत ₹14.48 करोड़ नहीं की जा सकी।

सितम्बर 2006 में, पर्यावरण एवं वन (एमओईएफ) मंत्रालय की ओर से अधिसूचित किया था कि पृथक भंडारण और खतरनाक रसायनों की हैंडलिंग (अधिसूचित सीमा भंडारण सीमा से ऊपर) से संबंधित परियोजनाएं श्रेणी 'बी' के तहत आती हैं और इस तरह की परियोजनाओं को स्थापित करने से पहले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) से पर्यावरण मंजूरी (ईसी) की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, श्रेणी बी के तहत निर्दिष्ट, परियोजना अगर वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से 10 किमी के भीतर स्थित है, श्रेणी 'ए' में माना जाएगा, जिसे एमओईएफ से पूर्व पर्यावरण मंजूरी (ईसी) की आवश्यकता होगी। एमओईएफ द्वारा जारी निर्माण, भंडारण और खतरनाक रासायनिक (एमएसआईएचसी) नियम, 1989 उसे श्रेणी के अन्दर आने वाली ज्वलन शील गैस होने पर ज्वलनशील गैसों तथा एलपीजी के लिए 50 टन की दहलीज भंडारण सीमा का प्रावधान करते हैं। इस प्रकार, एलपीजी गैस के किसी भी भंडारण, जो कि 50 टन की निर्धारित सीमा से परे है, को पहले ईसी की आवश्यकता है।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने ₹74.58 करोड़ की अनुमानित लागत पर तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) बॉटलिंग प्लांट, तिरुनेलवेली में 1800 मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता के साथ एक 60 टीएमटीपीए क्षमता के निर्माण, को मंजूरी दी (जून 2011), तमिलनाडु के राज्य औद्योगिक संवर्धन निगम से 99 साल (सितम्बर 2011) के लिए भूमि पट्टे पर ली। तिरुनेलवेली के पैक एलपीजी की आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा, यह परिकल्पना की गई थी कि इस परियोजना से रसद लागत में प्रतिवर्ष ₹14.48 करोड़ की बचत में होगी।

मेसर्स पर्यावरण तकनीकी सेवा प्राइवेट लिमिटेड (ईटीएसपीएल) जिसे आईओसीएल ने संचालन क्षमता एवं जोखिम अध्ययन, जोखिम मूल्यांकन अध्ययन, पर्यावरण प्रभाव आंकलन, आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने और सांविधिक निकायों से अनुमोदन प्राप्त करने में आईओसीएल

की सहायता के लिए नियुक्त (अगस्त 2011) किया था ने कहा (दिसम्बर 2011) कि परियोजना को राज्य या एमओईएफ से इसी की आवश्यकता नहीं है। तथापि जनवरी 2012 में, आईओसीएल ने, एमओईएफ एवं तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएनपीसीबी) को परियोजना के विवरण देते हुए, स्पष्टीकरण की माँग की थी कि क्या पूर्व इसी की आवश्यकता थी। इस संबंध में बिना किसीस्पष्टीकरणों के आईओसीएल ने टीएनपीसीबी को स्थापना के लिए सहमति आदेश जारी करने का अनुरोध किया था (फरवरी 2012) जो कि विभिन्न शर्तों के अधीन, अग्नि एवं सुरक्षा, विस्फोटक, वन आदि विभाग से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने सहित टीएनपीसीबी द्वारा जारी किया गया था (सितम्बर 2012)। आईओसीएल ने परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया और ₹75.58 करोड़ की लागत से नवम्बर 2014 में इस परियोजना को पूरा किया।

दिसम्बर 2014 में, आईओसीएल ने प्लांट में एलपीजी के भंडारण के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, को एक आवेदन प्रस्तुत किया। पीईएसओ ने अपने आवेदन के प्रसंस्करण के लिए (अप्रैल 2015) इसी की एक प्रति मांगी थी। आईओसीएल (अप्रैल 2015) ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ इसी की प्रयोज्यता के मुद्दे को उठाया था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया था (अप्रैल 2015) कि इसी इस परियोजना के लिए आवश्यक था, क्योंकि यह सितंबर 2006 में जारी अधिसूचना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की श्रेणी 'बी' के तहत सूचीबद्ध किया गया। इसके बाद, जब आईओसीएल ने इसी के लिए एसईआईए को आवेदन किया (सितम्बर 2015) तब एसईआईए द्वारा सूचित किया गया (अक्टूबर 2015) कि परियोजना को श्रेणी 'क' के तहत वर्गीकृत किया जायेगा चूँकि वह एक हिरन अभ्यारण्य (अक्टूबर 2013 को अधिसूचित) के 5 कि.मी. के दायरे में है और यह कि इसी को एमओईएफ द्वारा प्रसंस्कृत किए जाने की आवश्यकता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, कि विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (उद्योग-2) आईओसीएल के इसी के आवेदन को संसाधित करते समय देखा (फरवरी 2016) कि परियोजना ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसके अलावा, यह भी देखा कि परियोजना को राष्ट्रीय वन्य जीवन बोर्ड (एनवीडब्ल्यूएल) से निर्बाधन आवश्यक है। चूँकि क्लियरेंस प्रमाण पत्र अभी तक सांविधिक निकायों से प्राप्त किए जाने थे, इसलिए आईओसीएल निर्माण के बाद दो साल से अधिक बीत जाने के बावजूद संयंत्र संचालित नहीं कर सका। इसके अलावा, टीएनपीसीबी ने भी (मई 2016) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत आईओसीएल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी।

प्रबंधन ने कहा (सितंबर 2016) कि पहला ईसी पर्यावरण सलाहकार की सलाह के अनुसार नहीं लिया गया था। इसके अलावा, यह कहा गया कि टीएनपीसीबी ने यंत्र को 'संचालित करने के लिए सहमति' जून 2015 में दी और पीईएसओ से लाइसेंस भी जून 2015 में प्राप्त किया गया था।

जबाब का तथ्य यह है कि जब आईओसीएल ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और टीएनपीसीबी से स्पष्टीकरण (जनवरी 2012) की मांग के प्रति संतुलित करने की जरूरत है कि क्या पहला ईसी आवश्यक था, तर्क कि पूर्व ईसी पूरी तरह से सलाहकार की राय पर आधारित नहीं लिया गया था, विरोधाभासी है। वास्तव में, आईओसीएल को ऊपर के अधिकारियों का अनुगमन करना चाहिए था और इस परियोजना के निर्माण से पहले इस मामले में जरूरी स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, संयंत्र संचालित नहीं किया जा सका भले ही टीएनपीसीबी ने 'संचालित करने के लिए सहमति' जारी कर दी हो, क्योंकि ईसी अभी तक प्राप्त किया जाना था। पीईएसओ द्वारा दिया गया लाइसेंस आईओसीएल को अन्य सांविधिक मंजूरियां प्राप्त करने के अध्यक्षीन था जिसे आईओसीएल करने में विफल रहा।

इस प्रकार, वैधानिक आवश्यकता के साथ गैर अनुपालन के कारण, आईओसीएल (जनवरी 2017) ₹75.58 करोड़ की लागत से संयंत्र का निर्माण नहीं कर सका। नतीजतन, रसद लागत में प्रतिवर्ष ₹14.48 करोड़ की परिकल्पना की गई बचत भी वसूल नहीं की जा सकी।

मामला सितम्बर 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।

### **10.5 ₹15.30 करोड़ रुपये का निष्क्रिय निवेश**

इस तथ्य से अवगत होनेपर भी की उपयुक्त कच्चा तेल उपलब्ध नहीं होगा, कंपनी ने एलपीजी उत्पादन सुविधा का संस्थापन किया। इसको चालू करने के बाद से उपयोग नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप ₹15.30 करोड़ का निष्क्रिय निवेश हुआ।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) की बोंगाईगांव रिफाइनरी (बीजीआर) ने यूरो-III विनिर्देशनों के अनुसार मोटर स्पिरिट उत्पन्न करने के लिए मोटर स्पिरिट गुणवत्ता (एमएसक्यू) सुधार परियोजना कार्यान्वित की। परियोजना के चरण II ए तथा II बी में कार्यान्वित करने के लिए परियोजना के अंतर्गत लाइट नेफ्था आईशोमरीजेशन यूनिट, शोधन खंड तथा एलपीजी वसूली इकाई भी शामिल किया गया। सुधार परियोजना का आयाम-II ए सितम्बर 2011 में चालू किया गया। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) वसूली इकाई जो कि आयाम-II बी का हिस्सा है, के द्वारा कम तापमान और उच्च दबाव

में अवशोषण तथा अलग करने की परिकल्पना की गई है। निम्न तापमान को स्थायी रखने के लिए एक प्रशीतन इकाईकी आवश्यकता है। तदनुसार, कंपनी ने प्रशीतन इकाईके आपूर्ति, निर्माण एवं स्थापन हेतु एक ठेकेदारी आदेश (फरवरी 2009) किलोस्कर न्यूमेटिक कंपनी लिमिटेड को दिया। प्रशीतन इकाई दिसम्बर 2011 में ₹15.30 करोड़ की कुल लागत पर स्थापित किया गया।

वर्ष 2011-12 के दौरान प्रशीतन इकाई का प्रचालनमात्र 55 दिनों तक हुआ, जिसमें मात्र 77.8 मेट्रिक टन का एलपीजी उत्पादन हुआ। उसके बाद नकारात्मक लाभ के कारण एलपीजी का उत्पादन रोक दिया गया। एमएसक्यू सुधार परियोजना से एलपीजी के उत्पादन के आगामी लागत लाभ विश्लेषण से यह पाया गया कि एलपीजी का उत्पादन के अलाभकारी था एवं 2012-13 से 2015-16 तक की अवधि के दौरान एलपीजी वसूली इकाई से एलपीजी का उत्पादन नहीं हो रहा था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एमएसक्यू परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट (2008) में प्रस्तावित कच्चा तेल मिश्रण पैटर्न असम कच्चा तेल रावा कच्चा तेल पर आधारित था, जो उच्चतर एलपीजी क्षमता वाला था। हालांकि प्रबंधन 2006 में ही इस बात से अवगत था कि रावा कच्चा तेल की उपलब्धता घट रही है एवं दूसरे कच्चे तेलों का परिशोधन करना पड़ेगा। बीजीआर में रावा कच्चा तेल की उपलब्धता जून 2012 में ही बंद हो गई। एमएसक्यू सुधार परियोजना एवं प्रशीतन पैकेज के शुरुआत के बाद रिफाइनिंग में रावा कच्चा तेल का परिशोधन नहीं किया गया एवं कॉर्पोरेट सकल रिफाइनिंग मार्जिन को अधिकतम करने हेतु 2012-13 से रिफाइनरी में आयातित कच्चा तेल आपूर्तित किया गया। हालांकि आयातित कच्चा तेल कम एलपीजी क्षमता वाला था। नकारात्मक योगदान को देखते हुए एमएसक्यू परियोजना के एलपीजी वसूली खंड का परिचालन किफायती नहीं था। परिणामस्वरूप एलपीजी वसूली खंड का परिचालन किफायती नहीं था। परिणामस्वरूप एलपीजी वसूली खंड प्रतिस्थापन के तुरंत बाद निष्क्रिय हो गया।

प्रबंधन ने कहा (2015 नवंबर) कि:

- रावा क्रूड कम उपलब्ध नहीं होगा इस बाद की सटीक जानकारी परियोजना निरूपण के समय नहीं थी।
- पिछले वर्षों में अन्य कच्चे तेलों की तुलना में रावा कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि हुई जो इसे बीजीआर में प्रसंस्करण के लिए अव्यवसायिक बना रही है।

- निष्क्रिय सुविधा का वर्ष 2016-17 तक उपयोग करने के लिए एक नया संशोधन कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

मंत्रालय ने प्रबंधन के विचारों का समर्थन (अगस्त 2016) करते हुए एलपीजी उत्पादन सुविधा के कम व्यवहार के कारण बताया और कहा कि निष्क्रियसुविधा के प्रभावी उपयोग के लिए एक संशोधन योजना कार्यान्वित की जा रही है।

निम्नलिखित को देखते हुए जवाब तर्कसंगत नहीं है:

- वर्ष 2006 से की कंपनी को इस बाद की जानकारी थी कि रावा कच्चे तेल की उपलब्धता में गिरावट होगी।
- उस अवधि के दौरान रावा कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि के साथ-साथ आयातित कच्चा तेल की कीमतों में भी वृद्धि हुई।
- 17 महीने की अवधि के बाद संशोधित प्रणाली से अतिरिक्त एलपीजी उपलब्ध हो सकता है लेकिन इस प्रणाली की व्यवहार्यता का मूल्यांकन भविष्य में किया जाएगा। इस बीच, एलपीजी वसूली सुविधा 56 महीनों से भी अधिक समय से बेकार पड़ी है (सितम्बर 2016)।

इस प्रकार, यह जानने के बावजूद कि एलपीजी वसूली इकाई के व्यवहार्य प्रचालन के लिए उपयुक्त कच्चा तेल उपलब्ध नहीं होगा, प्रबंधन ने एलपीजी उत्पादन सुविधा को प्रतिष्ठापित करने का निर्णय लिया जिस के परिणामस्वरूप ₹15.30 करोड़ का निष्क्रिय निवेश हुआ।

#### तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड

#### 10.6 बोली मूल्यांकन मानदंड में कमियों के कारण पाईपलाइन बदलने की परियोजना पर ₹18.52 करोड़ का अतिरिक्त व्यय

निविदा के बोली मूल्यांकन मानदंड में स्पष्टता की कमी के कारण तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (कंपनी) को छः ट्रंक पाईपलाइन परियोजना के प्रातिस्थापन के लिए निविदा को बंद करना पड़ा। बाद में निविदा पुनः आमंत्रित की गयी और अनुबंध उच्च कीमत पर प्रदान किया गया जिसके परिणाम स्वरूप ₹18.52 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) ने असम परिसम्पत्ति की पाँच ट्रंक पाईपलाइनों<sup>1</sup> के प्रतिस्थापन के लिए बोली आमंत्रित (अक्टूबर 2010) की। कीमत बोली मार्च 2011 में खोली गई। तथापि निविदा रद्द कर दिया गया क्योंकि सबसे कम बोली लगाने वाला (एल 1) निष्पादन बैंक गारंटी जमा कराने में विफल रहा।

अगस्त 2012 में परियोजना के लिए निविदा, ओएनजीसी द्वारा पुनः आमंत्रित की गयी, जिसके लिए सात बोलियाँ प्राप्त हुईं। सात प्राप्त बोलियों में से चार बोलियाँ तकनीकी रूप से योग्य थीं। तीन बोलियों में से जो सफल नहीं हुए, मेसर्स साई रामा<sup>2</sup> के नेतृत्व वाले संघ द्वारा प्रस्तुत बोली आवश्यक अनुभव के अभाव में स्वीकार नहीं की गयी थी। चार तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की कीमत बोलियों को खोला (मार्च 2013) गया और मेसर्स आईओटी इंफ्रास्ट्रक्चर एवं एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, मुंबई और मेसर्स एसीई एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मुंबई के संघ द्वारा प्रस्तुत बोली ₹149.43 करोड़ के तयशुदा मूल्य पर सबसे कम (एल 1) पायी गयी। ओएनजीसी की निविदा समिति (टीसी) ने मेसर्स आईओटी इंफ्रास्ट्रक्चर एवं एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, मुंबई के नेतृत्व वाले संघ को ठेका देने की सिफारिश (10 अप्रैल 2013) की।

इस बीच मेसर्स साई रामा के संघ से उनकी बोली अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ एक अभ्यावेदन प्राप्त (अप्रैल 2013) हुआ। यह मामला स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) को भेजा गया जिसने कहा (अगस्त 2013) कि संघ के सभी भागीदारों के अनुभव पर विचार करते हुए मेसर्स साई रामा की बोली योग्यता मानदंड का उल्लंघन नहीं करती और मामले पर पुनर्विचार का सुझाव दिया। निविदा समिति (टीसी) ने आईईएम की राय पर विचार (22 अगस्त 2013) किया और कहा कि तकनीकी बोली मूल्यांकन मानदंडों (बीईसी) में और अधिक स्पष्टता की जरूरत थी तथा सिफारिश की कि कार्यकारी खरीद समिति (ईपीसी) निविदा फिर से आमंत्रित करे। ईपीसी ने अपनी विवेचना (24 सितम्बर 2013) में कहा कि तकनीकी बीईसी में और स्पष्टता की आवश्यकता थी। ईपीसी ने यह भी कहा कि चार योग्य बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की वैधता समाप्त हो गयी थी, इसलिए निविदा पुनः आमंत्रित करे।

<sup>1</sup> सेन्ट्रल टैंक फार्म (सीटीएफ), गेलेकी से सीटीएफ जोरहट, सीटीएफ गेलेकी से देखाऊ जंकशन प्वाइंट (डीजेपी), गैस कम्प्रेशन फैसिलिटी (जीसीपी) गेलेकी से डीजेपी, गुप गैदरींग स्टेशन (जीजीएस-1) रुद्रसागर (आरडीएस) से डीजेपी और जीसीपी आरडीएस से डीजेपी

<sup>2</sup> मेसर्स साई रामा इंजिनियरिंग इंटरप्राइजेज, हैदराबाद और मेसर्स मेघा इंजिनियरिंग लिमिटेड हैदराबाद का संयुक्त उद्यम और मेसर्स गैजस्ट्रोय, मास्को



नया निविदा आमंत्रित नोटिस (एनआईटी) मौजूदा पाईपलाइन में मामूली बदलाव और एक 4" पाईपलाइन (₹5.17 करोड़ की अनुमानित लागत) के परिवर्तन के साथ प्रकाशित (जून 2014) हुआ जिसके लिए छः बोली दाताओं ने अपनी बोली प्रस्तुत (सितम्बर 2014) की। प्राप्त छः बोली में से चार तकनीकी रूप से योग्य थीं। मै साई रामा की बोली आवश्यक अनुभव के अभाव में फिर से योग्य नहीं थी। चार तकनीकी रूप से योग्य बोली दाताओं की कीमत बोली खोली (5 दिसम्बर 2014) गई और मै ओआईएलआईओटी इंफ्रा एण्ड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, मुंबई के संघ द्वारा प्रस्तुत बोली ₹211.58 करोड़ की तय कीमत पर सबसे कम बोली के रूप में उभरी। इस बीच मै साई रामा फिर से उनकी बोली की अस्वीकृति के खिलाफ, आईईएम को प्रत्यावेदन (15 दिसम्बर 2014) दिया। आईईएम, एक पाईपलाइन परियोजना के पूरा होने के लिए मै साई रामा को पूर्व में प्राप्त निविदा के आलोक में मै साई रामा की बोली को अस्वीकार करने के फैसले की समीक्षा करने की सिफारिश (7 जनवरी 2015) की।

हालांकि (जनवरी 2015) टीसी की आईईएम की सिफारिशों से मतभिन्नता थी और पुनः निविदा की सिफारिश की। इसलिए मामले को ओएनजीसी के विधि अनुभाग को भेजा गया, जिसने सुझाव दिया कि ऐसे बोली लगाने वालों की बोली 23 फरवरी 2015 खोलना जो कि तकनीकी मानदंडों को पूरा नहीं करते, अनुचित होगा और यदि अदालत में चुनौती दी जाती है तो कानूनी जटिलता पैदा करेगा। तथापि परियोजना के कार्यान्वयन में देरी को देखते हुए, ओएनजीसी के निदेशक (तटवर्ती) ने आईईएम के विचारों के साथ सहमति जताई और मै साई रामा इंजीनियरिंग एन्ट्राप्राइजेज निविदा की खोलने का सुझाव दिया, जिसके लिए ईपीसी भी सहमत (अप्रैल 2015) था। मै साई रामा की एक समग्र ₹177.88 करोड़ की बोली सबसे कम थी। बातचीत के बाद, मै साई रामा के नेतृत्व में संघ को ₹173.28 करोड़ की एक मुश्त राशि पर अनुबंध प्रदान किया गया (10 अप्रैल 2015)।

इस प्रकार पूर्व अनुबंध में तकनीकी बीईसी में स्पष्टता की कमी के कारण ओएनजीसी ने उसे पुनः आमंत्रित किया जिसके परिणाम स्वरूप ₹18.52 करोड़ {₹173.28 करोड़ - (₹149.43 करोड़ + ₹5.33 करोड़<sup>1</sup>)} की अतिरिक्त अनुमानित परियोजना लागत आई।

प्रबंधन ने अपने जवाब में कहा (अक्टूबर 2015) कि मै. साई रामा इंजीनियरिंग इंटरप्राइजेज के संयुक्त उद्यम ने अपनी अयोग्यता के खिलाफ नामित आईईएम के समक्ष अपना पक्ष

<sup>1</sup> कासोमरी गाँव (के एस एबी) के कुरे से बोरहाला खोरघाट के टी पाईट तक 4" अतिरिक्त पाईपलाइन के लिए मै साई रामा द्वारा ₹5.33 करोड़ की बोली को शामिल करने के पश्चात जिसके स्कोप को बाद में संशोधित निविदा जारी करने के दौरान शामिल किया गया।

रखा। आईईएम ने कहा (अगस्त 2013) कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बोली, योग्यता मानदंड का बिल्कुल उल्लंघन नहीं था। टीसी ने आईईएम के विचार पर चर्चा की (22 अगस्त 2013) और कहा कि वर्तमान परिदृश्य से बचने के लिए तकनीकी बीईसी पर और अधिक स्पष्टता की जरूरत है और निविदा की पुनः आमंत्रण की सिफारिश की। तकनीकी बीईसी में स्पष्टता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान परिदृश्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिए साथ ही साथ यह ध्यान में रखते हुए कि सभी योग्य बोलियों की वैधता समाप्त हो गई थी, ईपीसी ने (24 सितम्बर 2013) निविदा पुनः आमंत्रित करने का फैसला किया। तकनीकी बीईसी में उपयुक्त बदलावों को शामिल करने के पश्चात निविदा को पुनः आमंत्रित (जून 2014) किया गया।

प्रबंधन का जवाब तथ्य की पुष्टि करता है कि पूर्वनिविदा के बीईसी/निविदा मानदण्डों में कमियों की वजह से निविदा पुनः आमंत्रित की गई थी। इस प्रकार बोली मूल्यांकन मानदण्ड में स्पष्टता की कमी के कारण ओएनजीसी द्वारा निविदा पुनः आमंत्रित की गई, परिणामवशः ₹18.52 करोड़ की अतिरिक्त लागत आयी।

मामला अक्टूबर 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।

### 10.7 सुरक्षा राशि बिना गैस आपूर्ति के परिणामस्वरूप बकाया राशि की वसूली नहीं हो पायी

ओएनजीसी गैस आपूर्ति समझौते के अनुसार आवश्यक सुरक्षा राशि के रूप में क्रेडिट के वैध पत्र को जमा करने की सुनिश्चितता में विफल रहा और निजी ग्राहक के लिए गैस की आपूर्ति जारी रखी जिसके परिणामस्वरूप ₹7.36 करोड़ बकाया राशि की वसूली नहीं हो पायी

ऑयल एण्ड नेचुरल गैस निगम लिमिटेड (अंकलेश्वर परिसम्पत्ति)<sup>1</sup> और सिध्दि विनायक विद्युत उत्पादन और वितरण निजी लिमिटेड (खरीदार) के साथ दिनांक 11 जनवरी 2013 को 90000 एससीएमडी<sup>2</sup> गैस के सप्लाई के लिये समझौता हुआ।

जीएसए के अनुच्छेद 13.12 के अनुसार, गैस की आपूर्ति के प्रारंभ से पहले, खरीदार से किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से गैस की आपूर्ति के 60 दिनों के मूल्य के बराबर स्थिर, परिक्रामी और साख पत्र जमा करना आवश्यक था। इसके आलावा जीएसए के अनुच्छेद 13.14 के अनुसार, खरीदार साख पत्र की वैधता की अवधि समाप्त होने से

<sup>1</sup> परिसम्पत्ति हाइड्रोकार्बन के विकास तथा उत्पादन के साथ सौंपा गया एक स्वत्व है।

<sup>2</sup> मानक घनमीटर प्रतिदिन (एससीएमडी)

कम से कम एक महीने पहले बैंकर द्वारा विधिवत जारी विस्तार सुनिश्चित करें। यदि खरीदार ऐसा करने में विफल रहा तो ओएनजीसी के पास साख पत्र के नवीकरण करने तक, साख पत्र की राशि को प्राप्त करना और जमा के रूप में राशि रखने का अधिकार था। इसके आलावा, ओएनजीसी के पास साख पत्र नहीं रखने के लिए, गैस की आपूर्ति बंद करने का अधिकार भी था। जीएसए के अनुच्छेद 6.01 के अनुसार, ओएनजीसी के पास, गैस की आपूर्ति बंद करके, अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना न्यूनतम आश्वस्त उठाव मात्रा (एमजीओ) की कीमत वसूली करने का अधिकार था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ओएनजीसी मार्च 2015 और अप्रैल 2015 महीने में ₹5.54 करोड़ गैस आपूर्ति और न्यूनतम आश्वस्त उठाव मात्रा की कीमत और दिनांक 31 मार्च 2016 तक व्याज ₹1.82 करोड़ गैस बिल का विलम्बित भुगतान, की वसूली करने में विफल रहा, जिसके निम्नलिखित कारण हैं:

1. खरीदार ने जनवरी / मार्च 2014 के दौरान चार साख पत्र ₹6.87 करोड़ (आंध्र बैंक<sup>1</sup> द्वारा जारी 3 साख पत्र ₹4.72 करोड़ और पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जारी एक साख पत्र ₹2.15 करोड़) प्रस्तुत किए जिनकी वैधता जुलाई/सितंबर 2014 तक थी। ओएनजीसी ने दिनांक 11 जुलाई 2014 को 3 साख पत्र ₹4.72 करोड़ का आंध्र बैंक द्वारा जारी किया हुआ नकदीकरण के लिये प्रस्तुत किया। जबकि, बैंक द्वारा नकदीकरण यह कहते हुये नहीं किया कि ये साख पत्र रद्द कर दिये गये हैं। इसके बदले, खरीदार ने 3 आंध्र बैंक द्वारा जारी साख पत्र नवीकृत नहीं किये थे। खरीदार ने साख पत्र के स्थान पर दिनांक 19 अगस्त 2014 को बैंक गारंटी ₹4.72 करोड़ सुरक्षा राशि के रूप में जमा किया। जबकि, ओएनजीसी ने दिनांक 21 अगस्त 2014 को बैंक गारंटी यह कहते हुये लौटा दिया था कि जीएसए के अनुसार सुरक्षा राशि के रूप में केवल स्थिर, परिक्रामी और साख पत्र स्वीकार था, बैंक गारंटी सुरक्षा राशि के रूप में अस्वीकार्य था। साख पत्र के नवीकरण के लिये निवेदन किया था। जबकि खरीदार द्वारा साख पत्र को नवीकृत नहीं किया गया।

2. खरीदार ने पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जारी साख पत्र ₹2.15 करोड़ दिनांक 20 जुलाई 2015 तक के लिये नवीकृत किया। इसप्रकार, ओएनजीसी के पास पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जारी किया हुआ साख पत्र ₹2.15 करोड़, को नकदीकरण करने का अवसर था। जबकि ओएनजीसी साख पत्र की वैधता के दौरान नकदीकरण में विफल रहा।

<sup>1</sup> एलसी दिनांक 01 मार्च 2014 ₹ 2.20 करोड़ के लिए, दिनांक 05 मार्च 2014 ₹ 1.00 करोड़ के लिए और दिनांक 11 मार्च 2014 ₹ 1.52 करोड़ के लिए, समाप्ति तारीख 30 सितम्बर 2014

3. ओएनजीसी ने खरीदार को साख पत्र ₹7.77 करोड़<sup>1</sup> के नवीकरण के लिये केवल दिनांक 11 दिसम्बर 2014 और 16 जनवरी 2015 को सूचित किया। ओएनजीसी ने यह भी सूचित किया कि यदि खरीदार ऐसा करने में विफल रहा तो, जीएसए के अनुसार गैस की आपूर्ति रोक दी जायेगी। जबकि, खरीदार द्वारा साख पत्र का नवीकरण न किये जाने के बावजूद भी, गैस की आपूर्ति जारी रखी गई। ओएनजीसी ने (दिनांक 5 फरवरी 2015) जीएसए के अनुच्छेद 13 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया और खरीदार को साख पत्र ₹7.77 करोड़ का साख पत्र और बकाया धनराशि जमा करने का निवेदन किया। जबकि खरीदार ने साख पत्र आवश्यक धनराशि का नवीकृत नहीं किया और मार्च 2015 के गैस आपूर्ति के मूल्य का भी भुगतान नहीं किया। कंपनी ने दिनांक 24 अप्रैल 2015 की गैस की आपूर्ति रोक दी। खरीदार ने मार्च 2015 और अप्रैल 2015 महीने में गैस आपूर्ति और न्यूनतम आश्वस्त उठाव मात्रा की कीमत ₹5.54 करोड़<sup>2</sup> का भुगतान नहीं किया। ओएनजीसी ने फरवरी 2016 में जीएसए को समाप्त कर दिया।

इस प्रकार, ओएनजीसी, आंध्र बैंक द्वारा जारी साख पत्र के नवीकरण सुनिश्चित करने में असफल रहा द्वारा और क्रेता को आंध्र बैंक द्वारा जारी एलसी को रद्द करने और बंद करने के बावजूद इसकी वैधता अवधि के दौरान पीएनबी द्वारा जारी एलसी के नकदीकरण में विफल रहा। ओएनजीसी ने वैध एलसी ना रखने के लिए भी गैस आपूर्ति रोकने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया और गैस की आपूर्ति जारी रखी। बाद में, हालांकि ओएनजीसी ने खरीदार के लिए गैस की आपूर्ति बंद कर दी और जीएसए को समाप्त कर दिया परन्तु ओएनजीसी ने गैस की आपूर्ति की अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए खरीदार के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई (दिसंबर 2016) शुरू नहीं की थी।

प्रबंधन ने (दिसम्बर 2016) बताया कि:

1. खरीदार द्वारा जमा ₹4.72 करोड़ का एलसी दिनांक 11 जुलाई 2014 को वैधता के अंतर्गत ही आंध्र बैंक में भुगतान के लिये प्रस्तुत किया लेकिन बैंक द्वारा यह कहते हुये भुगतान नहीं किया गया कि कथित एलसी पत्र खरीदार द्वारा बंद कर दिया गया है।
2. खरीदार ने बैंक गारंटी ₹4.72 करोड़ जमा किया और सुरक्षा राशि के रूप में स्वीकार करने का निवेदन किया। बाद में, बैंक गारंटी लौटाने का निर्णय लिया गया क्योंकि जीएसए के अनुसार सुरक्षा राशि के रूप में केवल परिक्रामी एलसी स्वीकार की जानी है। दिनांक 22 सितम्बर 2014 को खरीदार के साथ एक बैठक की गई। जैसा कि बैठक में चर्चा की गई,

<sup>1</sup> 4 सुसंगत अवधि की गैस आपूर्ति के 60 दिनों के मूल्य के बराबर

<sup>2</sup> ₹ 5.26 करोड़ गैस आपूर्ति के लिए तथा ₹ 0.28 करोड़ एम जी ओ के लिए

खरीदार के द्वारा दायित्व दिए जाने पर कि वो 7 दिनों के भीतर आवश्यक साख जमा कर देगा तथा यदि खरीदार ऐसा नहीं कर पाया तो ओएनजीसी के द्वारा गैस की आपूर्ति रोक दी जायेगी। खरीदार के आश्वासन पर गैस की आपूर्ति जारी रखी गई।

3. पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जारी एलसी के नकदीकरण में चूक था।

प्रबंधन का जबाब निम्नलिखित के कारण स्वीकार्य नहीं है:

1. ओएनजीसी ने आंध्र बैंक द्वारा जारी एलसी ₹4.72 करोड़ सात महीने की वैधता अवधि के साथ अर्थात् 30 सितम्बर 2014 तक, को स्वीकार कर लिया जो कि जीएसए के अनुच्छेद 13.12 का उल्लंघन करता है, जिसमें निर्धारित है कि एलसी एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होना चाहिए। उपभोक्ता को गैस की आपूर्ति तभी शुरू होनी चाहिये थी जब एलसी एक वर्ष की वैधता के साथ सुरक्षा राशि के रूप में प्राप्त हो। इसके अलावा, खरीदार ने ₹4.72 करोड़ के एलसी को वैधता की समाप्ति से पहले बंद कर दिया जिसकी जानकारी प्रबंधन को नहीं थी।
2. यद्यपि आंध्र बैंक द्वारा जारी एलसी खरीदार द्वारा बंद कर दिया गया परन्तु ओएनजीसी के पास पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जारी ₹2.15 करोड़ का एलसी जो कि दिनांक 20 जुलाई 2015 तक के लिये नवीकृत था, नकदीकरण करने में विफल रहा। प्रबंधन ने पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जारी नकदीकरण न कर पाने की चूक को स्वीकार किया।
3. खरीदार के द्वारा दिए गए आश्वासन पर (22 सितम्बर 2014) कि वो 7 दिनों के भीतर आवश्यक एलसी पत्र जमा कर देगा, गैस की आपूर्ति जारी रखी गई। यद्यपि जीएसए के अनुसार यदि खरीदार एलसी ना जमा करें तो ओएनजीसी के पास गैस आपूर्ति रोकने का अधिकार था, फिर भी ओएनजीसी ने दिनांक 1 अक्टूबर 2014 से 24 अप्रैल 2015 तक बिना किसी पत्र के गैस की आपूर्ति जारी रखी।

इस प्रकार, जीएसए में निर्धारित संविधात्मक प्रावधानों का पालन नहीं करने के परिणामस्वरूप, ओएनजीसी खरीदार से आपूर्ति गैस का भुगतान वसूली करने में विफल रहा परिणाम स्वरूप ₹7.36 करोड़<sup>1</sup> की वसूली नहीं हुई।

---

<sup>1</sup> गैस आपूर्ति के लिए ₹ 5.26 करोड़, एमजीओ प्रभागों के लिए ₹ 0.28 करोड़ और बकाया राशि पर ब्याज के लिए ₹ 1.82 करोड़।

मामला सितम्बर 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।

**10.8 महत्वपूर्ण उच्च दाब ज्वाला टिप की मरम्मत में देरी की वजह से मरम्मत योग्य उच्चदाब ज्वाला टिप के प्रतिस्थापन के कारण ₹16.11 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।**

ओएनजीसी ने (जून 2014) डिस्ट्रीब्यूटर क्रॉस ऑर्मस पर उच्च दाब ज्वाला टिप (एमएनएफ 1<sup>1</sup>) के नीचे गैस जलती देखी। यह घटना मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) को सूचित की गयी और चार महीने (अक्टूबर, 2014) के बाद उसका निरीक्षण किया गया। यदि ओ.एन.जी.सी. घटना के तुरंत बाद मामले को उठाती तो ज्वाला टिप की मरम्मत हो सकती थी। घटना की रिपोर्टिंग में देरी की वजह से ज्वाला टिप के प्रतिस्थापन के कारण ओएनजीसी को ₹16.11 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

मुंबई हाई नार्थ (एमएचएन) प्रोसेस प्लेटफार्म और रहने वाले आवास के निर्माण के लिए 31 जुलाई 2009 को मैसर्स लार्सन एंड टूब्रो हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग लिमिटेड (एलटीएचई) मुंबई को अनुबंध दिया गया। प्लेटफार्म के लिए उच्च दाब ज्वाला टिप<sup>2</sup> की आपूर्ति मैसर्स कॅलीडस टेक्नोलॉजीज एलएलसी द्वारा की गई थी और इसे अक्टूबर, 2012 को स्थापित किया गया था।

जून 2014 में ओएनजीसीने डिस्ट्रीब्यूटर क्रॉस ऑर्मस पर उच्च दाब ज्वाला टिप (एमएनएफ 1) के नीचे गैस को जलते देखा। यह मुद्दा ठेकेदार मैसर्स एलटीएचई, को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए 1 जुलाई, 2014 को उठाया गया था। चूंकि ज्वाला टिप की वारंटी समाप्त हो गई थी, इसलिए मैसर्स, एलटीएचई ने इस मुद्दे को सीधे कॅलीडस, मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) के साथ उठाने का सुझाव दिया। हालांकि, ओएनजीसी ने मूल उपकरण निर्माता को सूचित नहीं किया और फिर से (सितम्बर 2014) को ओएनजीसी ने मैसर्स एलटीएचई को बताया कि टिप के तल पर आग के कारण ज्वाला टिप एक तरफ झुक गई थी। जवाब में, मैसर्स एलटीएचई ने सूचित (25 सितंबर 2014) किया कि मैसर्स कॅलीडस के प्रतिनिधि अक्टूबर 2014 के पहले सप्ताह में भेजे जाएंगे। अक्टूबर 2014 में मैसर्स कॅलीडस के

<sup>1</sup> मुंबई उत्तर ज्वाला

<sup>2</sup> एक ज्वाला टिप अपशिष्ट दहनशील गैसों के निपटान के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मूल रूप से उच्च ग्रेड मिश्र धातु ट्यूब की बनावट होती है। आम तौर पर यह एक इस्पात ढेर के शीर्ष पर आरोहित होती है ताकि दहन और उसके उत्पादों की गर्मी जमीन पर जीवन और संपत्ति के लिए खतरा पैदा नहीं करेगी।

प्रतिनिधियों ने निरीक्षण किया और बताया कि क्षतिग्रस्तता जब पता चली थी तब टिप मरम्मत योग्य थी, लेकिन समय के साथ साथ खराब होती चली गई और इसलिए प्रतिस्थापित करने की जरूरत पड़ी। ज्वाला टिप विक्रेता, मैसर्स कॅलीडस ने 28 जनवरी 2015 को अपनी समापक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

प्रतिस्थापन की अत्यावश्यकता को देखते हुए, ओएनजीसी ने मैसर्स एलटीएचई के साथ-साथ उपविक्रेता को 2016 मानसून से पहले प्रतिस्थापन के कार्य को करने का अनुरोध किया। इस अनुबंध को 16 दिसम्बर 2015 को मैसर्स एलटीएचई मुंबई को कुल एकमुश्त कीमत 24,04,575 अमिरीकी डालर (₹16.11 करोड़) में दिया गया, जिसमें सेवा कर शामिल था परन्तु अन्य कर व शुल्क शामिल नहीं थे। जून 2014 में घटना के 17 महिने पश्चात ज्वाला टिप को 30 नवंबर 2016 को प्रतिस्थापित किया गया था।

प्रबंधन ने (अक्टूबर 2016) कहा कि 26 जून 2014 को एमएनपी उच्च दाब ज्वाला टिप के नीचे गैस जलना पाया गया था और मामले को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए 1 जुलाई 2014 को तुरंत ठेकेदार मैसर्स एलटीएचई के साथ उठाया गया था। निरंतर अनुनय के बाद, मूल उपकरण निर्माता के प्रतिनिधियों ने 10 अक्टूबर, 2014 को एमएनपी का दौरा किया। अतः ज्वाला टिप के निरीक्षण में देरी की वजह मैसर्स एलटीएचई और मूल उपकरण निर्माता का देरी से प्रतिक्रिया करना था।

प्रबंधन का जबाब न्यायोचित नहीं है क्योंकि ओएनजीसी ने इस मुद्दे पर मैसर्स एलटीएचई के अनुरोध (जुलाई 2014) के बावजूद तुरंत मूल उपकरण निर्माता के साथ सम्पर्क नहीं किया। सितंबर 2014 के दौरान, ओएनजीसी ने फिर से एलटीएचई से सम्पर्क किया जब ज्वाला टिप झुक गया था। इस प्रकार, उच्च दाब ज्वाला टिप के नीचे गैस के जलने की घटना की सूचना में देरी की वजह से ओएनजीसी को यह प्रतिस्थापन करना पड़ा तथा परिणामस्वरूप कंपनी को ₹16.11 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

मामला नवम्बर 2016 में मंत्रालय को सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।

**10.9 अपतटीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए ओएनजीसी द्वारा खरीदे गये तत्काल समर्थन पोत की लागत का हिस्सा निती अन्वेषण और उत्पादन (ईएण्डपी) संचालको से प्राप्त करने में विफलता।**

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने (अक्टूबर 2009) तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) को अपतटीय परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के सम्बंध में भारतीय नौसेना द्वारा संचालन के लिए अपने स्वयं के धन से 23 आईएसवि खरीदने के निर्देश दिये। इस लागत को तेल के अन्वेषण और उत्पादन में लगी सारी कम्पनियों जिनके अपतटीय क्षेत्रों में पदचिन्ह है, द्वारा साझा की जानी थी। यद्यपि ओएनजीसी ने ₹349 करोड़ की लागत से 23 आईएसवी खरीदे और नौसेना को जुलाई 2015 में सौंप दिये, किन्तु एमओपीएनजी अन्य निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्वेषण और उत्पादन संचालको से आईएसवी की लागत को साझा करने के तंत्र को अंतिम रूप नहीं दे पायी। इसके परिणामस्वरूप ओएनजीसी का दूसरे संचालको से सम्बंधित हिस्से के संबंध में ₹136.84 करोड़ धन अवरुद्ध हुआ तथा उस धन पर ₹15.39 करोड़ के ब्याज का नुकसान हुआ।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पेट्रोलियम उत्पादों के अन्वेषण और उत्पादन में लगी निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के मध्य देश के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में अपतटीय प्रातिष्ठानों की सुरक्षा पर 10 सितम्बर 2007 को एक बैठक आयोजित हुई जिसमें यह फैसला किया गया कि सभी अन्वेषण और उत्पादन (ईएण्डपी) कम्पनियां जिनके अपतटीय क्षेत्रों में पदचिन्ह है, के द्वारा अपतटीय परिसम्पत्तियों की सुरक्षा की लागत को साझा किया जाएगा। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) ने अपतटीय सुरक्षा के लिए आवश्यक तत्काल समर्थन पोत (आईएएवी) की जल्द खरीद को मंजूरी दी (फरवरी 2009)। एमओपीएनजी ने अक्टूबर 2009 में ओएनजीसी को अपने स्वयं के कोष से नौसेना के संचालन के लिए सारे 23 आईएसवि खरीदने के निर्देश दिये। एमओपीएनजी ने जून 2011 में हाइड्रोकार्बन महानिदेशक (डीजीएच) को भी आईएसवि की लागत को संचालको में साझा करने संबंधी प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए निजी संचालकों के साथ इस विषय को उठाने के निर्देश दिये।

यद्यपि, डीजीएच और ईएण्डपी संचालको<sup>24</sup> के प्रतिनिधियों के बीच आईएसवि जो कि ओएनजीसी द्वारा खरीदे जाने थे, की लागत सांझा तंत्र पर चर्चा के लिए कई बैठके (जनवरी 2014, जुलाई 2014 और दिसम्बर 2014) हुईं। परन्तु ओएनजीसी द्वारा खरीदे गये

<sup>1</sup> रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल), गुजरात राज्य पेट्रोलियम निगम (जीएसपीसी) और कैरन इण्डिया लिमिटेड (उत्पादन करने वाली अपतटीय परिसंपत्तियों के ई एण्ड पी संचालक)



आईएसवि की लागत को सांझा करने के तंत्र को अंतिम रूप देने में कोई प्रगति नहीं हुई। तदुपरान्त, डीजीएच ने मार्च 2015 में भौतिक अपतटीय परिसम्पतियों की सुरक्षा, तेल एवं गैस उत्पादन और परिसम्पतियों के बीमित मूल्य को ध्यान में रखते हुए लागत सांझा करने के लिए एक सूत्र का सुझाव दिया। यद्यपि, निजी क्षेत्र के ईएण्डपी संचालकों ने 03 जून 2015 को आईएसवि की लागत सांझा करने के तंत्र में भागीदारी पर अपने प्रतिबन्धों और असहमति को व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्र की सभी परिसम्पतियों को सुरक्षा प्रदान करना एक राष्ट्र का परम कर्तव्य है।

इसलिए डीजीएच ने दिसम्बर 2015 में एमओपीएनजी को प्रस्ताव दिया कि राज्य प्रभूत्व जिम्मेदारी होने के कारण सरकार को आईएसवि के पूंजीगत व्यय (सीएपीईएक्स) को एक बार उठाये गये उपाय के रूप में तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) निधि के माध्यम से भुगतान करने पर विचार किया जा सकता है। तथापि, इस पर आगे कोई निर्णय एमओपीएनजी द्वारा नहीं लिया गया।

इसी बीच, जैसा कि एमओपीएनजी ने निर्देश दिया, ओएनजीसी ने (जुलाई 2015) युद्धपोत के रूप में पंजीकृत सभी 23 आईएसवि खरीदे और नौसेना को दे दिये। 23 आईएसवि की खरीद की कुल लागत 30 जून 2015 को ₹349 करोड़ थी।

तदुपरान्त, सभी निजी संचालक (2 फरवरी 2016 की बैठक में) आईएसवि की पूंजीगत लागत को सांझा करने के लिए मंत्रालय के साथ सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए। इस पर आगे सहमति हुई कि डीजीएच संचालकों के साथ मंत्रणा से पूंजीगत व्यय को सांझा करने का एक स्वीकार्य सूत्र विकसित करेगा। यह भी तय किया गया कि (आरआईएल) पूर्वी तट पर आईएसवि के लिए समन्वयक के रूप में काम करेगा और सभी हितधारक आई एस वि के पूंजीगत व्यय तथा संचालन व्यय को सांझा करेंगे। तथापि, निजी ईएण्डपी संचालकों ने अभी भी (मार्च 2016) यह कायम रखा है कि हितधारकों के बीच आईएसवि की तैनाती की आवश्यकता पर कोई समझौता नहीं हुआ था और समझौते के अभाव में, ओएनजीसी द्वारा एकतरफा खर्च की लागत को सांझा करने का विषय नहीं उठता।

डीजीएच की निजी तेल एवं गैस संचालकों के साथ आगे की बैठक (10 अगस्त 2016) में पूर्वी तट पर संचालन व्यय को सांझा करने के विषय पर ही चर्चा हुई थी। डीजीएच ने पूंजीगत व्यय को सांझा करने सम्बन्धित मुद्दे को निजी कम्पनियों के साथ नहीं उठाया। समन्वयक मैसर्स आरआईएल ने भी (अक्टूबर 2016) आईएसवि के संचालन व्यय को सांझा करने के विषय को ही सम्बोधित किया। एमओपीएनजी व डीजीएच द्वारा आईएसवि के पूंजीगत व्यय को सांझा करने संबंधी निर्णय नहीं किया गया, जो कि ओएनजीसी ने खरीदे

और सभी निजी व सार्वजनिक संचालको की भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में संचालित अपतटीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए नौसेना को सौंप दिये गये।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2016) कि एमओपीएनजी के निर्देशों के अनुसार खरीद की और डिजीएच के लागत सांझा तंत्र को अंतिम रूप देने के बाद ही आईएसवि लागतो में ईएण्डपी संचालको का हिस्सा निर्धारित तथा प्राप्त किया जा सकता है। प्रबंधन के जवाब को इस तथ्य के साथ देखा जाना चाहिए कि निजी ईएण्डपी संचालको ने भारत सरकार के संप्रभु कर्तव्य का हवाला देते हुए आईएसवि की लागत को सांझा करने की असमर्थता को व्यक्त किया है।

इस प्रकार, ओएनजीसी को अपने निर्देशों (अक्टूबर 2009) की दिनांक से सात वर्ष के समय के बाद भी, एमओपीएनजी या तो अन्य ईएण्डपी संचालको के साथ सांझा तंत्र के माध्यम से और या फिर ओआईडीबी कोष के माध्यम से आईएसवि के पूंजीगत व्यय की अदायगी को अंतिम रूप नहीं दे पाया। इसके परिणामस्वरूप ओ.एन.जी.सी के अलावा, अन्य प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, अन्य संचालकों से संबंधित आई एस वि के पूंजीगत लागत की अदायगी, अन्य संचालको/एम.ओ.पी.एन.जी से नहीं होने के कारणवश ओ.एन.जी.सी का ₹136.84 करोड़ का कोष अवरूद्ध रहा तथा इसके उपर डेढ वर्ष (आई एस वि को नौसेना को देने की दिनांक जुलाई 2015 से) के समय के लिए ₹15.39 करोड़ (@7.5<sup>1</sup> प्रतिशत प्रतिवर्ष) ब्याज का नुकसान हुआ।

अक्टूबर 2016 में मंत्रालय को मामला सूचित किया गया; उनका उत्तर प्रतिक्षित था (जनवरी 2017)।

### ओएनजीसी विदेश लिमिटेड

#### 10.10 रिंग के खाली पड़े रहने पर व्यर्थ व्यय

ओएनजीसी कंपोस लिमिटेदा (ओएनजीसी विदेश लिमिटेड की सहायक कंपनी) ड्रिलिंग शुरू करने के 90 दिनों के पूर्व अपेक्षित संचालनात्मक सुरक्षा दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रही। इसके कारण 118 दिनों तक रिंग खाली पड़ी रही और इसके कारण ₹134.73 करोड़ का व्यय व्यर्थ हो गया।

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (कंपनी) ने अपनी सहायक कंपनी ओएनजीसी कंपोस लिमिटेदा (ओसीएल) द्वारा बीएम-एस-73 ब्लॉक, ब्राजील अधिग्रहित किया और तेल तथा प्राकृतिक

<sup>1</sup> दर जिस पर ओ.एन.जी.सी ने जुलाई 2016 में अपने अधिशेष कोष को म्यूचुअल फंड में निवेश किया।

गैस की खोज, विकास और उत्पादन के लिए ब्राजीलियन ओयल एंड गैस रेगुलेटर (एएनपी)<sup>1</sup> के साथ छूट करार किया (2008)। छूट करार ने ब्लॉक में ओसीएल को 100 प्रतिशत अधिकार प्रदान कर दिया। ओसीएल ने 43.50 प्रतिशत रखने के बाद जनवरी 2010 में क्रमशः पेट्रोब्रास और इको पेट्रोल में 43.50 प्रतिशत और 13 प्रतिशत तक सहयोगी ब्याज पर ठेका दे दिया और इस प्रकार संयुक्त संचालन करार (जेएओ) किया (मई 2010)। जेएओ के अनुसार, संकाय के सदस्यों की ओर से दिन प्रतिदिन की क्रियाओं की जिम्मेदारी के साथ संचालक के रूप में ओसीएल को नियुक्त किया गया था। सकल उपेक्षा या जनबुझकर कदाचार के लिए संचालक द्वारा की गई अपनी चुक को छोड़कर किसी हानि या नुकसान के प्रति बाद में प्रभार के दावे करने और संचालक की क्षतिपूर्ति करने के लिए उनके अधिकारों के लिए पूर्वाग्रह के बिना किये गये व्यय के लिए संचालक द्वारा जारी किये गये कैश कॉल भुगतान के लिए गैर-संचालक अनुग्रहित थे।

ओसीएल द्वारा ड्रिलिंग कार्य आरंभ करने से 90 दिन पहले संचालनात्मक सुरक्षा दस्तोवज (ओएसडी) प्रस्तुत करने अपेक्षित<sup>2</sup> थे। यद्यपि, ओसीएल ने आवश्यक (ओएसडी) प्रस्तुत नहीं किये और ब्राजील पर्यावरण नियामक प्राधिकरण (आईबीएएमए)<sup>3</sup> से पर्यावरण मंजूरी लेने के बाद (अप्रैल 2011) के बाद अन्वेषण कुएं का ड्रिलिंग कार्य आरंभ किया। एएनपी ने ओएसडी के गैर प्रस्तुतीकरण के लिए 24 जून 2011 से ड्रिलिंग कार्य निरस्त कर दिये। ओसीएल ने 19 जुलाई 2011 को ओएसडी प्रस्तुत किये और रिग के निरीक्षण के बाद, एएनपी द्वारा 19 अक्टूबर 2011 को रोक हटा ली गई।

इसी बीच, आईबीएएमए ने इस आधार पर ड्रिलिंग लाइसेंस वापस ले लिया (सितम्बर 2011) कि ओसीएल द्वारा प्रस्तुत व्यक्तिगत आपातकालीन योजना त्रिस्तरीय ओयल स्पिल से निपटने में विफल रही। आईबीएएमए द्वारा मांगी गई सूचना वाले कई दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण (अक्टूबर-नवम्बर 2011) पर 9 नवम्बर 2011 में ड्रिलिंग लाइसेंस दोबारा बनवाया गया। 9 नवम्बर 2011 को दोबारा ड्रिलिंग कार्य आरंभ किये गये। इस प्रक्रिया में, एएनपी द्वारा ड्रिलिंग कार्यों को रोकने पर 118 दिन (24 जून से 19 अक्टूबर 2011) और आईबीएएमए द्वारा ड्रिलिंग लाइसेंस की वापसी के कारण 19 दिन (20 अक्टूबर से 8 नवम्बर 2011) तक रिग खाली पड़ी रही। 25 नवम्बर 2011 को

<sup>1</sup> एजेंसिया नेसीओनल डो पेट्रोलियो गैस नेचुरल ई बायोकंपवस्टीविख्य 'एएनपी-ब्राजीलियन ऑयल एंड गैस रेगुलेटर

<sup>2</sup> ब्राजीलियन तेल और गैस नियामक (एएनपी) की नियम सं. 43/2007 के अनुसार

<sup>3</sup> इंस्टीट्यूटों ब्रासीलेरियो डो मेयो एम्बंटे इ डोस रिकर्सोस नेचुरिस रेनोवेवेस - ब्राजील पर्यावरण नियामक प्राधिकरण

ड्रिलिंग पूरी की गई थी परंतु कुंए में तेल नहीं मिल सका। संकाय सदस्य छूट करार छोड़ने को सहमत (जनवरी 2012) को गये।

जेएओ की शर्तों के अनुसार, ओसीएल ने किये गये व्यय<sup>1</sup> के लिए 121.71 मिलियन<sup>2</sup> ब्राजीलियन मुद्रा (बीआरएल) में कैश कॉल सं. 1 जारी की (मई 2011) और उक्त को संकाय सदस्यों द्वारा अदा किया गया था। 45.09 मिलियन<sup>3</sup> बीआरएल के लिए कैश कॉल 2 जारी किया गया था (अगस्त 2011) और संकाय के सभी सदस्यों द्वारा अदा किया गया था। बाद की कैश काल (50.70 मिलियन बीआरएल के 3 और 4 राशि) विरोध के अंतर्गत और अनुत्पादक अवधि से संबंधित विरोध के उनके अधिकारों पर संदेह प्रकट करने के साथ पेट्रोब्रास (बीआरएल 22.05 मिलीयन) और इको पट्रोल (बीआरएल 6.59 मिलीयन) द्वारा भी अदा (दिसम्बर 2011/फरवरी 2012) किये गये थे। यद्यपि बीआरएल 49.58 मिलीयन के पटोब्रास शेयर के लिए और बीआरएल 14.82 मिलीयन के इको पट्रोल शेयर के लिए जुलाई 2012 में कैश कॉल 5 के अंतर्गत की गई मांग इस निवेदन पर उनके द्वारा अस्वीकृत कर दी गई थी कि संचालक द्वारा अनदेखी के कारण, जिसे संचालक द्वारा ही पूरी तरह से वहन किया जाना चाहिए था; ड्रिलिंग गतिविधियों को रोकने के कारण अनुत्पादक अवधि के संबंध में कैश काल में कीमतें जोड़ी गई थी। इसके अतिरिक्त, संकाय सदस्यों ने 2 से 4 कैश कॉल में शामिल अनुत्पादक अवधि लागत की क्षतिपूर्ति की मांग की।

ओसीएल ने अपने बकाया के निपटान के लिए जुलाई 2012 से रिग के संकाय सदस्यों/आपत्तिकर्ता के साथ समझौता बैठक द्वारा कई प्रयास किये। समझौता विफल रहा और इसलिए ओसीएल द्वारा मध्यस्थता कार्रवाईयों को आरंभ किया गया था (नवम्बर 2013)। मध्यस्थता कार्रवाईयों के दौरान, ओसीएल ने अपने बचाव में कहा कि यह एएनपी द्वारा जारी की गई अधिसूचना की आवश्यकता के महत्व और इन आवश्यकताओं के अनुपालन की विफलता में संभावित कार्यान्वयन के प्रति सचेत नहीं था। पट्रोबेस ने कहा कि ओसीएल ने इन आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए एएनपी नियम दो बार (अंग्रेजी अनुवाद के साथ) प्रति प्रेषित की गई सूचना की अनदेखी की और इसी कारण ओसीएल की अनदेखी के कारण ड्रिलिंग रोक दी गई थी।

<sup>1</sup> ड्रिलिंग / अन्वेषण एवं सामान्य और प्रशासनिक व्यय

<sup>2</sup> ओसीएल, पेट्रोब्रास एवं इकोपेट्रोल कि हिस्सेदारी बीआरएल 52.94 मिलियन , बीआरएल 52.94 मिलियन एवं 15.82 मिलियन क्रमशः थी

<sup>3</sup> ओसीएल, कि हिस्सेदारी, बीआरएल 19.62 मिलियन, पेट्रोबेस, बीआरएल 19.61 मिलियन और इकोपेट्रोल 5.86 मिलियन

अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्तता न्यायालय ने घोषणा की (दिसम्बर 2015) कि ड्रिलिंग कार्यों का एएनपी द्वारा रोका जाना केवल ओसीएल की अनदेखी के कारण था और इसलिए ओसीएल खाली पड़े रिग प्रभार (यूएसडी 16.82 मिलीयन) के कारण ₹238.46 करोड़ के समान यूएसडी 51.59 मिलीयन की लागत और 24 जून से 19 अक्टूबर 2011 के बीच व्यय किये गये अन्य खर्च (यूएसडी 34.77 मिलियन) वहन करने चाहिए। इसमें ओसीएल के ₹103.73 करोड़ और पट्रोब्रास और इकोपट्रोल दोनों के शेयर में ₹134.73 करोड़ शामिल थे। न्यायालय ने यह भी कहा कि आईबीएमए द्वारा ड्रिलिंग गतिविधियों को रोकने की अवधि के अर्थात् 20 अक्टूबर से 8 नवम्बर 2011 के दौरान किये गये व्यय को उनके सहयोगी हितों के हिस्से के अनुसार संकाय के सभी सदस्यों द्वारा बांटा जाना चाहिए था क्योंकि यह ओसीएल की सकल अनदेखी के कारण नहीं था। अधिनिर्णय को स्वीकार्य करते हुए, ओसीएल ने 10 मार्च 2016 तक संकाय सदस्यों द्वारा विवाद का निपटान किया गया। इसके कारण रिग के खाली पड़े रहने के प्रभार और अन्य व्यय के कारण ₹134.73 करोड़ का फालतू व्यय किया गया जिसे संकाय के अन्य सदस्यों से बांटा नहीं जा सकता था।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2015) कि एएनपी वैबसाइट पर उपलब्ध चैक लिस्ट के अनुसार सभी अनुपालनाओं की ओसीएल द्वारा अनुपालना की गई। प्रबंधन ने यह भी कहा कि ओसीएल ने एएनपी के साथ कई बैठकें की और एक मौखिक संदेश देते हुए कहा कि पूरी आवश्यकता का अनुपालन किया गया था।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया गया और कंपनी को ड्रिलिंग कार्यों को आरंभ करने से पूर्व ओएसडी के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण ड्रिलिंग कार्यों को रोकने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। सभी आवश्यकताओं की अनुपालनाओं के संबंध में मौखिक पुष्टिकरण पर निर्भर रहने के स्थान पर, ओसीएल को एएनपी नियामकों के अनुसार नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पट्रोब्रास के संप्रेषण पर तुरंत कार्रवाई द्वारा अपने हितों को पर्याप्त रूप से सुरक्षा करनी चाहिए थी।

इस प्रकार, पूर्णतः अनदेखी के कारण, ओसीएल ड्रिलिंग को आरंभ करने के लिए 90 दिनों तक संचालनात्मक सुरक्षा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफल रही जिसके कारण 118 दिनों के लिए रिग खाली पड़े रहने के कारण ₹134.73 करोड़ का अनावश्यक व्यय हुआ।

नवम्बर 2016 में मंत्रालय को मामले की सूचना दी गई थी; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।